

कक्षा
11

कक्षा
11

समाजोपयोगी योजनाएँ

भाग—3

समाजोपयोगी योजनाएँ
भाग—3



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अजमेर

समाजोपयोगी योजनाएँ भाग-3



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति

पुस्तक-समाजोपयोगी योजनाएँ भाग-3

लेखकगण

1. स्वच्छता अभियान

- ◆ डॉ. ऋतु सारस्वत
प्राध्यापक-समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)

2. कौशल विकास एवं उद्यमिता

- ◆ डॉ. अनिल उपाध्याय
प्राध्यापक-व्यवसाय प्रशासन
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
अजमेर
- ◆ डॉ. अभिनव कमल रैना
प्राध्यापक-वाणिज्य
महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
चित्तौड़गढ़

3. जल स्वावलंबन

- ◆ डॉ. बी. एल. यादव
प्रोफेसर एवं ओ.एस.डी.
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
- ◆ डॉ. एल. आर. यादव
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)

4. भामाशाह योजना

- ◆ डॉ. प्रकाश कुमार बचलस
प्राध्यापक-अर्थशास्त्र
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर
- ◆ श्री अशोक तिवारी
सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य

दो शब्द

विद्यार्थी के लिए पाठ्यपुस्तक क्रमबद्ध अध्ययन, पुष्टिकरण, समीक्षा और आगामी अध्ययन का आधार होती है। विषय-वस्तु और शिक्षण-विधि की दृष्टि से विद्यालयीय पाठ्यपुस्तक का स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों को कभी जड़ या महिमामण्डित करने वाली नहीं बनने दी जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तक आज भी शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया का एक अनिवार्य उपकरण बनी हुई है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते।

पिछले कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में राजस्थान की भाषागत एवं सांस्कृतिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व का अभाव महसूस किया जा रहा था, इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कक्षा-9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अपना पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप बोर्ड द्वारा शिक्षण सत्र 2016-17 से कक्षा-9 व 11 की पाठ्यपुस्तकें बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही तैयार कराई गई हैं। आशा है कि ये पुस्तकें विद्यार्थियों में मौलिक सोच, चिंतन एवं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करेंगी।

प्रो. बी.एल. चौधरी
अध्यक्ष

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

भूमिका

किसी भी देश की उन्नति, किसी एक आधार भूमि पर खड़ी नहीं होती बल्कि उसके लिए विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है, और इस सम्बन्ध में 'सरकारी योजनाएँ' महती भूमिका निभाती है। भारत विकासशीलता के पथ पर चलकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सके, यह देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य की पूर्ति तभी संभव है, जब हमें देश और राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हो। यह योजनाएँ आर्थिक सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य, आर्थिक हितों एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को केन्द्र में रखकर निर्मित की गई है।

– लेखकगण

समाजोपयोगी योजनाएँ भाग-3

अनुक्रमणिका

1. स्वच्छता अभियान	1 – 9
2. कौशल विकास एवं उद्यमिता	10 – 24
3. जल स्वावलंबन	25 – 34
4. भामाशाह योजना	35 – 46

स्वच्छता अभियान

पिछली कक्षाओं के अध्ययन में हमने यह जाना कि खुले में शौच करने की प्रवृत्ति देश को अस्वस्थ बना रही है और आज भी देश इस बुराई से लड़ रहा है। जब तक खुले में शौच की प्रवृत्ति पूर्णतः समाप्त नहीं होगी स्वच्छता के हर प्रयास अधूरे रहेंगे। खुले में शौच के अलावा, देश में स्वच्छता के लिए अन्य गंभीर चुनौती कचरे का निस्तारण है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत हर रोज 18 अरब लीटर तरल और 40 लाख क्विंटल ठोस अपशिष्ट पैदा करता है। नेशनल इनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के अनुसार देश में हर साल 44 लाख टन खतरनाक कचरा निकल रहा है। इसमें से आधे से अधिक कागज, लकड़ी या पुट्टा होता है, जबकि 22 प्रतिशत घरेलू कबाड़ या घरेलू कचरा होता है। कचरे का निपटान पूरे देश के लिए समस्या बनता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में 1950 से लेकर आज तक 12 बड़े कचरे के ढेर बनाए जा चुके हैं जो कि सात मंजिल तक ऊँचे हैं, मुंबई का सबसे बड़ा कचरा संग्रह 110 हेक्टेयर में फैला, देवनार कचरा स्थल है। यहाँ पर 92 लाख टन कचरे का ढेर लग चुका है। यह कचरा, जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कचरे से रिस कर जहरीला रसायन, भूमि, हवा और पानी को दूषित कर रहा है और इनके पास रहने वाली आबादी अनेक गंभीर बीमारियों जैसे मलेरिया, टी.बी. दमा और चर्म रोगों से ग्रसित हैं। मुम्बई के 'देवनार' इलाके के पास बसी बस्तियों में प्रत्येक 1,000 बच्चों में 60 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, जबकि बाकी मुम्बई में यह औसत 30 बच्चे प्रति हजार हैं।

कचरा प्रबन्धन : आज बढ़ते शहरीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देशों में कचरा प्रबन्धन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। राजधानी दिल्ली का 57 प्रतिशत कूड़ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यमुना में बहा दिया जाता है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक है। हमारा कचरा निस्तारण का तरीका बहुत पुराना है। अक्सर कचरा उसे समझ जाता है जो बेकार हो चुका हो। लेकिन सही और सुनियोजित तरीके से कचरा प्रबन्ध का आशय, कचरे में से उपयोगी तत्वों को सुरक्षित रखा जाना, उन्हें पुनः प्रयोग में लाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास है।

कचरे का प्रबन्धन और निस्तारण की गंभीर समस्या के चिंतन हेतु 7-9 सितंबर, 2015 को 'एंटरप शहर (बेल्जियम) में UNEP द्वारा "वैश्विक अपशिष्ट प्रबन्ध दृष्टिकोण" रिपोर्ट जारी की गई। (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) (UNEP) और 'अन्तरराष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट संघ (ISWA) द्वारा जारी इस रिपोर्ट का उद्देश्य कचरा प्रबन्ध पर जागरूकता पैदा करना है। वैश्विक आधार पर 'कचरा प्रबन्धन' के लिए यह प्रथम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में प्रमुख डंपिंग स्थलों (कचरा डालने की जगह) में से एक बन गया है। विश्व के प्रमुख 50 डंपिंग स्थलों में से 3 डंपिंग स्थल भारत में स्थित हैं।



अगर हम कचरे का सही ढंग से प्रबन्धन करें तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी एवं हम सतत् विकास की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए अगर कचरे को सही तरह से एकत्रित किया जाए और उसको पुनः चक्रित किया जाए तो हमें कच्चे पदार्थ मिल जाएँगे जिससे धातुओं को पाने के लिए खदानों का भार कम होगा और कागज के लिए जंगल कम कटेंगे। कागज को पुनः चक्रित कर कम से कम उतने ही और पेड़ों को तो कटने से रोका जा सकता है। कचरा निस्तारण में घरों से निकले जैविक कचरे को जैव खाद और मीथेन गैस में परिवर्तित कर लोगों द्वारा प्रयुक्त किए गए खाद्य पदार्थों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। मीथेन गैस, ऊर्जा का उत्तम स्रोत है और जैव खाद, मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। कचरा प्रबन्धन से प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी निर्भरता को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है क्योंकि कचरा प्रबन्धन के उपभोग और पुनः उपयोग से एक चक्र बनता है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने में अपनी महती भूमिका निभाता है। एक शोध के अनुसार एक टन ठोस कचरे से 55 घन मीटर गैस पैदा होती है और 12 हजार घन मीटर गैस से एक मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कचरा प्रबन्धन का एक उत्कृष्ट उदाहरण राजस्थान के मध्यप्रदेश सीमा से सटे जिले प्रतापगढ़ का है। यहाँ एक कचरा वाहन शुरू किया गया है जो कस्बे के प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित करने के लिए दिन के अलग-अलग समय में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमता है। इस कार्य का प्रबन्ध स्वयंसेवी संगठन 'सृजन' द्वारा किया जाता है। कचरे को एकत्रित करते समय ही इस बात की सावधानी रखी जाती है कि निस्तारित करने वाला गीला कचरा जैसे खाद्य अपशिष्ट अलग स्थान पर और पुनः चक्रित करने योग्य सूखे कचरे को अलग स्थान पर एकत्रित किया जाए। नागरिकों को इस संबंध में जागरूक किया गया और कचरे को घर से ही अलग-अलग श्रेणियों में एकत्रित किया जाता है। इससे व्यापक स्तर पर कचरे को पृथक करने की लागत बचती है। गीले कचरे से जैव खाद बनाई जाती है। इस पूरे कार्य में नगर परिषद् भी 'सृजन' को सहयोग कर रही है इसलिए इस जैविक खाद को नीलाम किया जाता है जिससे परिषद् को अतिरिक्त आय होती है। इस प्रणाली को अपनाने के बाद से शहर में गंदगी से जनित रोग कम फैले हैं।

कचरा प्रबन्धन की दिशा में आंध्र प्रदेश की बाबिली नगरपालिका के प्रयास सराहनीय हैं। यहाँ घर से दो प्रकार का कूड़ा अलग-अलग एकत्रित किया जाता है। रसोई से निकले गीले कूड़े को पहले एक पार्क में निर्धारित स्थान पर पशुओं के खाने के लिए रख दिया जाता है। बत्तख, मछली, सुअर द्वारा खाद्य अपशिष्ट तथा कुत्तों द्वारा मांस को खा लिया जाता है। शेष

को खाद बना कर बेच दिया जाता है, जहाँ इन्हें पुनःचक्रित कर दिया जाता है। जो कूड़ा पुनःचक्रित या खाद में परिवर्तित नहीं किया जाता है, उसे लैंडफिल (ठोस अपशिष्ट भराव क्षेत्र) में डाल दिया जाता है या फिर जलाकर इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। आंध्र प्रदेश की ही सूर्यापेट नगर पालिका एक कदम आगे है। यहाँ किराना दुकानों, मीट विक्रेताओं तथा होटलों द्वारा क्रेताओं को अपना थैला लाने पर एक से पाँच रुपए की छूट दी जाती है। इन शहरों की सड़कें आज पूरी तरह साफ हैं।

कचरा प्रबन्धन के चलते ही मैसूर संपूर्ण भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मैसूर की स्वच्छता का संपूर्ण दायित्व वहाँ के स्थानीय लोग उठाते हैं। पूर्वी मैसूर के कुंवर केपल में नागरिक कार्यकर्ता 'जीरो वेस्ट मैनेजमेंट' प्लांट की देखरेख करते हैं। चार घंटों तक वे पाँच हजार घरों से अलग-अलग कचरा जमा करते हैं, जिसमें गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग जमा किया जाता है और उस कचरे को 'वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट' (शून्य अपशिष्ट प्रबन्धन) में भेजा जाता है। 45 दिनों के प्रशोधन के बाद गीले कचरे को खाद में बदल दिया जाता है जिसे किसान ले जाते हैं। वहीं सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक और ग्लास आदि को जमा कर बेच दिया जाता है। मैसूर के नौ में से एक प्लांट (संयंत्र) की स्थापना मैसूर नगर निगम द्वारा की गई है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के विकेन्द्रीकरण से न केवल 'केन्द्रीय संयंत्र' का भार कम होता है बल्कि कचरों के परिवहन का खर्च भी कम होता है। यहाँ एक वार्ड (मुहल्ला) में 30 नागरिक कार्यकर्ताओं को कचरों के जमा करने से लेकर संसाधित करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के एक वार्ड से 25 हजार रुपए प्रतिमाह की आय होती है जिसे क्षमता संवर्द्धन और जागरूकता कार्यक्रमों में प्रयुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कचरा प्रबन्धन से कचरे को जहाँ 'संसाधन' में परिवर्तित किया जा सकता वहीं अपने मौहल्ले, क्षेत्र, गाँव, राज्य और देश को स्वच्छ बनाया जा सकता है। इस दिशा में हमारे प्रमुख मंत्रालय (पर्यावरण और शहरी) नए कानून और नियम बनाने की प्रक्रिया में हैं। कचरा प्रबन्धन के साथ ही हमें कम कचरा पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

'स्वच्छता' को बनाए रखने के लिए अनेकानेक प्रयासों की आवश्यकता तो है ही, पर उसके साथ ही हमें यह जानना चाहिए कि भारत में 'स्वच्छता' को 'जीवन' मानने की अलख किसने जगाई? क्या आप जानते हैं कि वे कौन हैं? वह देश के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी हैं।

महात्मा गाँधी और स्वच्छता

एक बार एक अंग्रेज ने महात्मा गाँधी से पूछा, यदि आपको एक दिन के लिए भारत का बड़ा लाट साहब (वायसराय) बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गाँधीजी ने कहा, राजभवन के पास जो गंदी बस्ती है, मैं उसे साफ करूँगा। अंग्रेज ने फिर पूछा, 'मान लीजिए कि आपको एक और दिन उस पद पर रहने दिया जाए तब।' गाँधी ने फिर कहा, दूसरे दिन भी वहीं करूँगा।' सत्य के अन्वेषक के रूप में, गाँधीजी ने बहुत सतर्क जीवन शैली अपनाई और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। गाँधीजी ने अनुभव किया कि सफाई का राष्ट्र निर्माण में अपरिहार्य स्थान है और कहा, 'स्वच्छता का स्थान ईश्वर के करीब है।' सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति शहर के लोगों के बेरुखी भरे रवैये पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था, "यह सोच सुविधाजनक नहीं है कि लोग बम्बई की सड़कों पर निरन्तर इस खौफ के साए में चलते हैं कि बहुमंजिली इमारतों के वाशिन्डे उन पर थूक सकते हैं।"



हमारे बापू

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गाँधीजी ने गाँवों की स्थिति को शोचनीय बताया। “हमारी गरीबी का एक प्रमुख कारण स्वच्छता की अनिवार्य जानकारी उपलब्ध न होना है। यदि गाँवों की साफ-सफाई में सुधार लाया जाए तो लाखों रुपये आसानी से बचाए जा सकेंगे और लोगों की दशा में कुछ हद तक सुधार लाया जा सकेगा।”

लोक सेवक संघ के संविधान मसौदे में उन्होंने कार्यकर्ताओं के संबंध में लिखा था— “कार्यकर्ता को गाँव की स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूक करना चाहिए और गाँव में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए।” (गाँधी वाङ्मय, भाग 90, पृष्ठ 528)

गाँधीजी का विश्वास था कि जो देश की भावी आधारस्तम्भ है, अर्थात् विद्यालय और विद्यार्थी, वहाँ ‘स्वच्छता’ का ज्ञान होना चाहिए। 20 मार्च 1916 को गुरुकुल कांगड़ी में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था, ‘गुरुकुल के बच्चों के लिए स्वच्छता और सफाई के नियमों के ज्ञान के साथ ही उनका पालन करना भी प्रशिक्षण का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए,.... इन अदम्य स्वच्छता निरीक्षकों ने हमें लगातार चेतावनी दी कि स्वच्छता के संबंध में सब कुछ ठीक नहीं है.... मुझे लग रहा है कि स्वच्छता पर आगन्तुकों के लिए वार्षिक व्यावहारिक सबक देने के सुनहरे मौके को हमने खो दिया।’ (गाँधी वाङ्मय, भाग-13, पृष्ठ 264)

गाँधीजी ने स्वच्छता को शुद्धता के कार्य के रूप में देखा। गाँधीजी के सचिव प्यारेलाल इस बारे में नोआखली का एक किस्सा सुनाते हैं जहाँ गाँधीजी हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए उसके कोने-कोने में जा रहे थे। वे लिखते हैं, यहाँ तक कि नोआखली के लिए भी वह ओस से बेहद गीली रात थी और जिस संकरे फुटपाथ पर गाँधीजी को चलना था उस पर बहुत फिसलन थी, फुटपाथ बहुत संकरा था इसलिए उनके दल के लोग एक-एक करके ही आगे बढ़ सकते थे। अचानक इस समूह को रुकना पड़ा क्योंकि गाँधीजी कुछ सूखे पत्तियों की सहायता से फुटपाथ से मल हटा रहे थे। कुछ साम्प्रदायिक शरारती तत्वों ने फुटपाथ को गँदा कर दिया था। मनु ने पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया? आपने हम सभी को इस तरह शर्मसार क्यों किया? गाँधीजी ने हँसते हुए कहा, “तुम उस आनन्द के बारे में नहीं जानती, जो ऐसे काम करके मुझे प्राप्त होता है।”

आप सभी को गाँधीजी का यह उद्बोधन आश्चर्यचकित करता होगा कि कैसे एक

व्यक्ति मल हटाने में आनन्द प्राप्त कर सकता है? इस बात को समझने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा। क्या इस धरा पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे गँदगी देखनी अच्छी लगती हो? नहीं ना! परन्तु विडम्बना यह है कि हमें गँदगी देखनी तो अच्छी नहीं लगती पर हम उस जगह से आँखें मूंद कर निकल जाना बेहतर समझते हैं या प्रशासन को कोसते हैं। राष्ट्रभक्त वही करता और कहता है जो बापू ने किया।

मध्य महाराष्ट्र के एक नवयुवक ने गाँधीजी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके सेवाग्राम आश्रम में जाकर उनसे भेंट की। उस नवयुवक ने आईसीएस (प्रशासनिक सेवा) की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बापू ने उस युवक से प्रश्न किया, 'तुम आईसीएस क्यों बनना चाहते तो।' युवक ने उत्तर दिया, 'भारत की सेवा करने के लिए। बापू ने उसे परामर्श दिया कि गाँव में जाना और साफ-सफाई करना भारत की उत्कृष्ट सेवा है और इसके पश्चात् आईसीएस बनने के इच्छुक अप्पा पटवर्धन 'सफाई' की कला में विशेषज्ञता हासिल कर देश के बेहतरीन स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हो गए।

गाँधीजी ने ट्रेन के तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठकर देश भर में प्रवास किये थे। वह भारतीय रेलवे के तीसरे श्रेणी के डिब्बे की गँदगी को देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने 25 सितम्बर 1917 को समाचार पत्र में लिखे अपने पत्र के माध्यम से इस ओर आमजन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने लिखा, 'इस तरह की संकट की स्थिति में तो यात्री परिवहन को बंद कर देना चाहिए लेकिन जिस तरह की गँदगी और स्थिति इन डिब्बों में है उसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य और नैतिकता को प्रभावित करती है। निश्चित तौर पर तीसरी श्रेणी के यात्री को जीवन की बुनियादी जरूरतें हासिल करने का अधिकार तो है ही। तीसरे दर्जे के यात्री की उपेक्षा कर हम लाखों लोगों को व्यवस्था, स्वच्छता, शालीन जीवन की शिक्षा देने, सादगी और स्वच्छता की आदतें विकसित करने का बेहतरीन मौका गँवा रहे हैं।' (गाँधी वाङ्मय, भाग-13, पृष्ठ 264)

बापू का यह पत्र आज भी प्रासंगिक है क्योंकि तब से लेकर आज तक भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ कर्तव्य और अधिकार दोनों की ही अवहेलना का प्रश्न है। सर्वप्रथम जो यात्री सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करते हैं उनके भीतर यह भावना होती है कि उनका उद्देश्य अपने गंतव्य तक पहुँचना है इसलिए वह उस वाहन को सिर्फ साधन मात्र मानते हुए, उसमें गँदगी फैलाते हैं, वहीं दूसरे ओर जिन पर सफाई का दायित्व होता है वह भी इसकी अवहेलना करते हैं। अपने कर्तव्यों की अवहेलना, दूसरे के अधिकारों का सुनिश्चित तौर पर हनन है और यही कारण है कि हमारे चारों ओर गँदगी का ढेर बिखरा हुआ रहता है। हमें स्वच्छता की आदतें विकसित करनी होती हैं। एक-दूसरे पर दायित्व सौंपने की परम्परा ने ही विश्व मंच पर भारत की स्वच्छता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़ा किया।

19 नवम्बर 1925 के यंग इण्डिया के एक अंक में गाँधीजी ने भारत में स्वच्छता के बारे में अपने विचारों को लिखा। उन्होंने लिखा, 'देश के अपने भ्रमण के दौरान मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ गँदगी को देखकर हुई.... इस संबंध में अपने आप से समझौता मेरी मजबूरी है।' (गाँधी वाङ्मय, भाग-28, पृष्ठ 461)

हम स्वयं को ईश्वर भक्त कहते हैं और भारतीयों को यह तथ्य गौरव की अनुभूति देता है कि हमारे मन्दिर विश्व में सर्वश्रेष्ठ धार्मिक स्थलों में से एक हैं। हमारे पूर्वजों के पावन कृत्यों को हम किस प्रकार अस्वच्छता फैला कर विस्मृत कर रहे हैं यह सर्वव्यापी सत्य है। मन्दिर हमारे आस्था का केन्द्र हैं जहाँ हम स्वयं से साक्षात्कार करने की चेष्टा करते हैं।

अपनी पीड़ाओं की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं पर क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कि जो ईश्वर हमारे लिए हमारा जीवन स्रोत है, उसी स्थल को हम निरन्तर, गंदगी फैलाकर अस्वच्छ कर रहे हैं।

वर्ष 1903 में गाँधीजी काशी गए, जहाँ उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को देखा। वहाँ के हालात देखकर उन्होंने कहा, 'मैं इस तीर्थस्थान के चारों तरफ भगवान की तलाश में घूमा, लेकिन यहाँ की गंदगी और अपवित्रता के बीच उन्हें ढूँढ़ पाने में विफल रहा।'

देश के राष्ट्रपिता ने गंदगी को लेकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति ग्यारह दशक पूर्व की थी, जिसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया। आज भी हमारे धार्मिक स्थल गंदगी से अटे पड़े हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम स्व-जागृत हों और अधिकारों की बात करने से पूर्व अपने कर्तव्यों का स्मरण करें।

जानने योग्य बातें :-

(i) क्या आप जानते हैं कि जिसे कबाड़ी (कचरा बीनने वाला) कह कर आप तिरस्कृत करते हैं वह देश का करीब 20 प्रतिशत कबाड़, पुनः चक्रित करते हैं। दिल्ली में ही ऐसे लोग रोजाना 2,000 टन पेपर, प्लास्टिक, धातु और कांच को पुनःचक्रित करते हैं। ये लोग नगर निगम का प्रतिदिन एक करोड़ रुपए बचाते हैं।

(ii) क्या आप जानते हैं कि विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 25 सितम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 के मध्य केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में 'स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय अभियान' आयोजित किया गया था। इस दौरान स्कूल कक्षाओं में प्रतिदिन बच्चों के साथ सफाई और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर, विशेष रूप से महात्मा गाँधी की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षाओं के संबंध में बातें की गईं। 'बाल मंत्रिमण्डलों का निगरानी दल बनाया गया और सफाई अभियान की निगरानी की गई।



(iii) स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान निरंतर चलने वाला अभियान है जिसमें विद्यार्थियों में अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम, स्वच्छता के प्रति चेतनता जागृत की जाएगी।

(6)

(iv) क्या आप जानते हैं कि 'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय' की ब्रांड अंबेसडर (दूत) कौन है। पोस्टर में जिस लड़की की तस्वीर आप देखते हैं उसका नाम रश्मि नायक है। रश्मि अपने माता पिता के साथ दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक सर्वेन्ट क्वार्टर में रहती है, उसके पिता उसी डिफेंस कॉलोनी में, सर्वेन्ट (नौकर) के रूप में कार्य करते हैं। उसे बचपन से साफ-सुथरा रहने का शौक है।

स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों के प्रयास :-

1. आप अपने आस-पास के लोगों को प्रेरित करें कि वह गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कर रखें।
2. रसोई के खाद्य अपशिष्ट को एक ऐसे स्थान पर डालें जिससे गाय और दूसरे पशु उसे खा लें, पर यह ध्यान रखें कि वह प्लास्टिक बैग में बंद न हो।
3. अपने आस-पास के दुकानदारों को प्रेरित करें कि वह पॉलिथिन की थैली के स्थान पर जूट का थैला प्रयोग करें।
4. आप अपने मोहल्ले में लोगों को प्रेरित करें कि वह प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का टूटा-फूटा सामान, काँच का सामान जैसी वस्तुओं को एकत्रित करके रखें और अगर आपके आस-पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो उसे कबाड़ी को दे दें क्योंकि कबाड़ी उसे पुनःचक्रित करने वालों को बेच देंगे।

विश्वास करें आपका स्वच्छता को लेकर हर छोटा प्रयास, एक बड़ा कदम होगा, देश के स्वच्छता अभियान में।

अनुकरणीय

हमें यह हमेशा लगता है कि स्वच्छता का उत्तदायित्व नगर निगम, नगरपालिका या फिर पंचायत का है और अधिकांशतः हम अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लेते हैं परन्तु ऐसे कई भारतीय हैं जिनकी सोच स्वयं से ऊपर उठ कर देश के लिए है। ऐसे ही दो नाम हैं, मणि वाजिपे और राज मदनगोपाल का। इन दोनों ने मिल कर 'बैन्सन' नाम से एक संस्था शुरू की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में कूड़े-कचरे का सही प्रबन्धन है। ये संस्था तीन तरह से काम करती है, पहला - कूड़ा-कचरा ढोना, यानि उसका परिवहन, दूसरा - इस कूड़े-कचरे को संसाधित करना तथा तीसरा- इस छॉटे हुए कूड़े-कचरे का पुनःचक्रण करते हुए उसे फिर किसी काम के लायक बनाना। आपको यह जानकर सुखद अनुभूति होगी कि मणि वाजिपे अमेरिका में बड़ी कंपनी में ऊँची तनख्वाह पर नौकरी करते थे। एक बार वह स्वदेश आए। भारत में हर जगह कचरे का ढेर और गँदगी देख वह व्यथित हो गए और तब उन्होंने निश्चय किया कि अपने देश से गँदगी दूर करने का वह हर संभव प्रयास करेंगे। मणि पुनः अमेरिका गए। वहाँ जाकर कूड़ा-कचरा प्रबन्धन के सबसे अच्छे और सफल तरीकों पर अध्ययन किया और यह जाना कि किस तरह अमेरिका के अलग-अलग शहरों में कूड़े-कचरे का प्रबन्धन किया जाता है। मणि वाजिपे ने अपने मित्र राज मदनगोपाल से इस संबंध में बात की और फिर दोनों 'मित्रों ने भारत के कई अधिकारियों, राजनेताओं, कबाड़ी वालों, कूड़े-कचरे के कारोबार से जुड़े कारोबारियों, दलालों और स्वयंसेवियों से मुलाकात की। अपनी यात्राओं, मुलाकातों और अनुभवों से दोनों ने तीन महीने में यह निष्कर्ष निकाला कि देश में गँदगी की सबसे बड़ी वजह कूड़े-कचरे का प्रबन्धन सही तरह से नहीं हो पाना है। मणि वाजिपे और राज मदनगोपाल ने देश की खातिर अमेरिका की नौकरी छोड़ की और स्वदेश आकर 2015 में 'बैन्सन' की शुरुआत की। मणि वाजिपे और राज मदनगोपाल ने छोटी-बड़ी कॉलोनियों, अपार्टमेंट्स और दूसरे जगहों से कूड़ा-कचरा उठाना शुरू किया।

(7)

इसके बाद एक जगह इस कूड़े-कचरे को जमा कर उसमें से पुनःचक्रण किए जाने वाले सामानों को अलग किया जाता है। फिर इसी सामान को पुनःचक्रण करने वाली कंपनियों को सीधे बेचा जाता। 'बैन्सन' ने लोगों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के अभियान की शुरुआत की। इस संस्था की एक बड़ी सफलता यह थी कि कबाड़ी वाले, रद्दी वाले, अब दलालों के शोषण का शिकार नहीं हो रहे थे। रद्दी वालों, कबाड़ी वालों तथा कूड़ा-कचरा उठाने वाले मजदूरों को सही मेहनताना मिलने लगा था। 'बैन्सन' ने लोगों को एक फोन नंबर दिया था जिसे डायल कर लोग कभी भी घर, कॉलोनी, बस्ती, अपार्टमेंट दफ्तर से कूड़ा-कचरा उठवा सकते हैं। कूड़ा-कचरा उठाने वाली सभी गाड़ियों की ट्रेकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम का भी सहारा लिया जाने लगा है। लोगों को बेहतर सुविधाएँ मुहैया कराने के मकसद से एंड्रायड एप और एस.एम.एस. सेवाएँ भी चालू की गई है। 'बैन्सन' के मणि वाजिपे और राज मदनगोपाल ने हैदराबाद को स्वच्छ करने के जो प्रयास किए हैं क्या वे हम नहीं कर सकते?

'बैन्सन' संस्था की ही तरह 'रिजॉल्व ट्रैश टू कैश' नामक संस्था ने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया है। SAFE (South Asian Forum for the Environment) द्वारा सन् 2010 में किए गए एक सर्वे के अनुसार महानगर के शहरी कचरे के कुल मूल्य का 86 प्रतिशत हिस्सा अव्यवस्थित और बेतरतीब पुनःचक्रण संयंत्रों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो अवैज्ञानिक और अनैतिक कूड़ा-प्रबन्धन नीतियों से चल रहे हैं। शहरी गरीबों की आबादी का 50 प्रतिशत भाग कूड़ा एकत्रित करने, उनके पृथक्करण करने तथा उन्हें लाने ले जाने जैसे आपूर्ति के काम में लगा हुआ है। गरीबों के इसी शोषण को देखते हुए सन् 2011 में 'रिजॉल्व ट्रैश टू कैश' संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था के जरिए पुनःचक्रण के माध्यम से महिलाओं को जीविका के साधन मिल रहे हैं। जैसे पेपरमैशी (कुट्टी) कला सीख कर वे कागज की रद्दी से, सजावटी सामान बना रही हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 350 कचरा और कूड़ा-करकट बीनने वाले लोग शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- मुंबई का सबसे बड़ा कचरा स्थल कहाँ है?
 (अ) देवनार (ब) उबास
 (स) रानी खेड़ा (द) मदनपुर ()
- विश्व के प्रमुख 50 डंपिंग स्थलों में से कितने डंपिंग स्थल (कचरा डालने की जगह) भारत में है?
 (अ) 4 (ब) 3
 (स) 2 (द) 6 ()
- वैश्विक अपशिष्ट प्रबन्धन दृष्टिकोण रिपोर्ट प्रथम बार किस वर्ष जारी की गई?
 (अ) 2006 (ब) 2010
 (स) 2015 (द) 2011 ()
- भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है?
 (अ) मैसूर (ब) हैदराबाद

(8)

- (स) जयपुर (द) आगरा ()
5. स्वच्छ भारत—स्वच्छ विद्यालय की ब्रांड अंबेडकर (दूत) का नाम क्या है?
(अ) रश्मि शर्मा (ब) स्वाति
(स) रश्मि नायक (द) बीना नायक ()

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. प्रतापगढ़ में कचरा प्रबन्धन का कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठन का क्या नाम है?
2. आंध्र प्रदेश की सूर्यापेट नगरपालिका क्रेताओं को छूट कब देती है?
3. गाँधीजी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को देखकर क्या कहा?
4. 'बैन्सन' संस्था के संस्थापकों के नाम लिखिये।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. कचरा प्रबन्धन से आप क्या समझते हैं?
2. आंध्र प्रदेश की किस नगरपालिका ने कचरा प्रबंध में सराहनीय कार्य किया और कैसे संक्षिप्त में बताएँ ?
3. गाँधीजी तीर्थस्थलों को देख कर क्यों दुखी हुए?
4. 'बैन्सन' संस्था कब और क्यों शुरू की गई?
5. बापू ने अप्पा पटवर्धन को क्या सलाह दी?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. कचरा प्रबन्धन क्यों आवश्यक है?
2. राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के कचरा प्रबन्धन के बारे में लिखें।
3. गाँधीजी के 'स्वच्छता' के संदर्भ में विचारों को लिखें।

उत्तरमाला : (1) अ, (2) ब, (3) स,
(4) अ, (5) स

कौशल विकास एवं उद्यमिता

कौशल विकास एवं रोजगार

सीखने के बिन्दु
इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे

- ◆ राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम
- ◆ रोजगारपरक लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप
- ◆ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम
- ◆ कौशल विकास पहल योजना तथा नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु
- ◆ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा किये गए प्रयास
- ◆ कन्वर्जेन्स प्रोत्साहन

1. कौशल विकास एवं रोजगार

भारत एक युवा देश है एवं युवा शक्ति का सवर्तम उपयोग तभी संभव है जब युवाओं में शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास, उद्यमशीलता एवं खोज की प्रवृत्ति जाग्रत हो। इसी उद्देश्य से 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार के कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम युवा कौशल दिवस मनाया गया, तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया। केन्द्र एवं राज्य सरकार का लक्ष्य बहुत तेज गति से एवं बड़ी संख्या में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर भारत को "विश्व में मानव संसाधन की राजधानी" बनाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" (P.M.K.V.Y.) और "कौशल ऋण योजना" (K.R.Y.) का भी शुभारम्भ किया। "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" (P.M.K.V.Y.) का लक्ष्य 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर उनका कौशल बढ़ाना है। कौशल ऋण योजना के तहत देश भर के 34 लाख कुशल (Skilled) बेरोजगारों को अगले 5 वर्षों में इनकी आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने सितम्बर 2004 में राजस्थान आजीविका

मिशन-आरमोल (RMoL) की स्थापना की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कमजोर एवं गरीब लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका के सृजन एवं प्रोत्साहन हेतु नई व उचित रणनीति तैयार करना तथा उनको क्रियान्वित करना है। कौशल विकास कार्यक्रमों को और गति तथा नया आयाम देते हुए केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य मंत्रिमण्डल के आदेशानुसार एक पृथक विभाग कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता का गठन किया गया। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कौशल योजनाओं का समामेलन (Convergence) हुआ है, ताकि अधिक से अधिक युवावर्ग लाभान्वित हो सके।

वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराना प्राथमिकता रही है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के बेरोजगार, गरीब एवं स्कूल ड्रॉपआउट्स हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि युवा बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकें।

इसी विचार को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लागू की है।

जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. कौशल विकास योजना (Skill Development Programme) :-
2. उद्यमशीलता विकास योजना (Entrepreneurship Development Programme):-
3. नवाचार प्रोत्साहन (Startup Initiative) :-

कौशल विकास योजना :- इस योजना का उद्देश्य व्यक्ति में उसकी योग्यता के अनुसार कौशल का विकास करना है, जिसके द्वारा व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके।

उद्यमशीलता विकास योजना :- इस योजना का उद्देश्य व्यक्ति में उद्यमिता की भावना का विकास करना एवं उसे एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करना है, जिससे कि वह स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, एवं अन्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा सके।

नवाचार प्रोत्साहन :- इसके अर्न्तगत तीक्ष्ण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति मानव जाति के हित में ऐसे नवीन उत्पाद, एवं सेवाओं की खोज करते रहते हैं, जिससे व्यक्तियों की आय बढ़ सके। इन उत्पाद एवं सेवाओं के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद, विपणन एवं संचालन में मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन दिया जाता है।

कौशल-विकास के उद्देश्य :-

कौशल-राजस्थान का उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार लाना तथा उचित कौशल विकास के माध्यम से जीवन को दिशा देना है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी, ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, सरकार तथा समाज के युवाओं के कौशल के विकास तथा प्रशिक्षण में मदद करना है।

कौशल विकास की विशेषताएँ –

1. कौशल विकास के माध्यम से युवकों को रोजगार प्रदान कर इनकी उद्यमशीलता में सुधार लाना है।
2. जिन स्थानों में कौशल विकास अपर्याप्त या नहीं के बराबर है, ऐसे स्थानों में कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित करना है।
3. कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा पारम्परिक उद्योगों को भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
4. कौशल विकास द्वारा नयी तकनीक का प्रयोग करना है।
5. कौशल विकास द्वारा कार्यक्षमता को बढ़ाना है।

6. कौशल विकास द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम

कौशल विकास एवं आजीविका मिशन को नया आयाम देते हुए राज्य सरकार ने 28 जनवरी 2014 को एक पृथक विभाग कौशल रोजगार एवं उद्यमिता का गठन किया। इस विभाग में प्रदेश में विभागों द्वारा भूतकाल में चलाई गयी विभिन्न कौशल योजनाओं को समामेलित (Convergence) किया गया है, ताकि प्रदेश के युवा ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। इन योजनाओं का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है ताकि युवा बेहतर आजीविका अर्जित कर सकें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कौशल प्रशिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं:-

- रोजगारपरक लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
- नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)
- प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)
- कन्वर्जेंस प्रोत्साहन (Convergence Initiative)
- कौशल विकास पहल योजना (SDIS)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 13 दिसम्बर 2013 से 30 अप्रैल 2016 तक कुल 123785 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है

योजना का नाम	ईएलएसटीपी	डीडीयू-जीकेवाई	आरएसटीपी	एसडीआई	कुल
प्रशिक्षित आशार्थी	86845	26715	7911	2314	123785

ईएलएसटीपी : रोजगारपरक लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
 डीडीयू-जीकेवाई : पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
 आरएसटीपी : नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
 एसडीआईएस : कौशल विकास पहल योजना

रोजगारपरक लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)

निगम द्वारा प्रायोजित रोजगारपरक लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी वर्ग के बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 5 वीं पास या उससे अधिक है, तथा किसी विद्यालय/विश्वविद्यालय के नियमित छात्र नहीं हैं, वे प्रशिक्षण के पात्र हैं। इस योजना में अब तक कुल 175 एमओयू निजी कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित किये गए हैं। निगम द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

इस मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रायोगिक कार्य एवं सैद्धान्तिक जानकारी का विभाजन चुने हुए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। निगम द्वारा चिह्नित किये गये पाठ्यक्रमों को दो वर्गों में बाँटा गया है: उत्पादन क्षेत्र (कैटेगरी A) एवं सेवा क्षेत्र (कैटेगरी B)। समयावधि के आधार पर 33 आर्थिक क्षेत्रों के 197 पाठ्यक्रम सम्मिलित है।

प्रशिक्षणार्थी की पात्रता:- इच्छुक युवा आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित पात्रता के आधार

पर आवेदन कर सकते हैं जो निम्नानुसार है –

आयु :- 18 से 35 वर्ष ।

शैक्षणिक योग्यता – राज्य के समस्त इच्छुक युवा जो कि संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हों । स्कूल व कॉलेज के नियमित छात्रों का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नहीं किया जाता है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन – प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन जिले के स्किल गैप स्टडी, बाजार माँग तथा युवाओं की अभिरूचि को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाता है । इस हेतु **Interest Inventory Test** तथा **Counselling** आदि की जाती है ।

योजनाओं की जानकारी निम्न कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के परियोजना प्रबंधक
3. जिला प्रबन्धक, रा. कौशल एवं आजीविका विकास निगम ।
4. प्रधान / पंच / सरपंच
5. जिला रोजगार अधिकारी
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी
7. महिला एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी
8. अल्पसंख्यक मामलात विभाग के जिलाधिकारी

प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार (Employment after Training)

इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं में रोजगारपरक हुनर विकास के पश्चात् उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो । इसके अनुसरण में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्रदान कराना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है । इस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

आवेदन पत्र नमूना राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की समस्त योजनाओं के लिए

आवेदन पत्र

..... (प्रशिक्षण प्रदाता का नाम)

.....
.....

महोदय,

फोटो

मैं एक बेरोजगार नवयुवक / नवयुवती हूँ तथा किसी विद्यालय अथवा कॉलेज का नियमित छात्र / छात्रा नहीं हूँ ।

मैं आपके संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये इच्छुक हूँ । मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है:

1. नाम मोबाईल नं.
2. आयु (प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्न करें) फोन नं. (कोड सहित).....
3. पिता / पति का नाम मोबाईल नं.
4. स्थायी पत्राचार का पता: मकान नं. गली / कॉलोनी
..... वार्ड नं., सड़क ग्राम

..... पोस्ट पंचायत समिति / ब्लॉक तहसील ...
..... जिला पिन कोड

5. आधार संख्या / आधार नामांकन संख्या :

6. वर्गीकरण (कृपया ✓ का निशान लगाएँ) :

- (a) महिला / पुरुष
- (b) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) / गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)
- (c) शहरी बीपीएल / ग्रामीण गरीब / अन्य
- (d) बीओसीडबल्यू / सहरिया / सीमान्त क्षेत्र प्रशिक्षणार्थी
- (e) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / विशेष योग्यजन / सामान्य (आवश्यकतानुसार प्रमाण पत्र / कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करें)

7. शैक्षणिक योग्यता (कृपया ✓ का निशान लगाएँ) :

- (a) 5 वी. कक्षा पास
- (b) 6 ठी से 9 वीं कक्षा पास
- (c) 10 वीं कक्षा पास
- (d) 12 वीं कक्षा पास
- (e) स्नातक
- (f) स्नातकोत्तर

8. पारिवारिक रोजगार / व्यवसाय (कृपया ✓ का निशान लगाएँ) :

- (a) मजदूरी
- (b) कृषि एवं पशुपालन
- (c) दुकान / व्यवसाय
- (d) सरकारी कर्मचारी
- (e) गैर सरकारी कर्मचारी

9. पारिवारिक आमदनी (कृपया ✓ का निशान लगाएँ) :

- (a) प्रतिमाह रुपये 2000 से कम
- (b) प्रतिमाह रुपये 2001 से 5000
- (c) प्रतिमाह रुपये 5001 से 10000
- (d) प्रतिमाह रुपये 10001 से अधिक

10. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम जिसमें आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं

..... (कृपया एक ही कार्यक्रम चुनें)

11. इस दक्षता / कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को चुनने के विशिष्ट कारण ?

.....
.....
.....

12. प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैंने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रायोजित अन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है /

..... प्रशिक्षण में भाग लिया है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक

(शब्दांश : बीओसीडबल्यू – भवन एवं अन्य निर्माण क्षेत्र कामगार कल्याण बोर्ड के लाभार्थी एवं आश्रित, सहरिया जनजाति, सीमान्त क्षेत्र – बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर के प्रशिक्षणार्थी, अजा – अनुसूचित जाति, अजजा – अनुसूचित जनजाति, अपिव – अन्य पिछड़ा वर्ग, विपिव – विशेष पिछड़ा वर्ग)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा सम्मिलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-

Rajasthan Skill and livelihoods development Corporation

S.No.	Name of sector
1-	MEDICAL & NURSING
2-	RETAIL
3-	HOSPITALITY
4-	INFORMATION & COMMUNICATION
5-	BFSI & COMMERCE
6-	APPAREL & GARMENT MAKING
7-	COURIER & LOGISTICS
8-	TELECOM
9-	ELECTRICAL
10-	ELECTRONICS
11-	CONSTRUCTION
12-	SECURITY
13-	AUTOMOTIVE REPAIR
14-	FABRICATION
15-	TEXTILES
16-	RENEWABLE ENERGY
17-	MATERIAL MANAGEMENT
18-	TRAVEL & TOURISM
19-	BEAUTY CULTURE & HAIR DRESSING
20-	PRODUCTION & MANUFACTURING
21-	WOOD WORK
22-	REFRIGERATION & AIR CONDITIONING
23-	FASHION DESIGNING
24-	AGRICULTURE & HORTICULTURE
25-	GEM AND JEWELLERY
26-	LEATHER & SPORTS GOODS
27-	MEDIA
28-	PLASTIC PROCESSING
29-	HOME DÉCOR ART JEWELLERY
30-	FOOD PROCESSING & PRESERVATION
31-	JUTE DIVERSIFIED PRODUCTS SECTOR
32-	HANDICRAFT & LOCAL RESOURCE BASED SKILLS
33-	TOY MAKING
34-	MULTI - SKILLS

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य के ग्रामीण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा क्रियान्वयन की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करवाना है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल, नरेगा में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 15 दिवस तक काम करने वाले परिवारों के सदस्य तथा ऐसे ग्रामीण गरीब युवक जिनका चयन विशेष ग्राम सभाओं (पी.आ.ई.पी.) के तहत किया हुआ हो, प्रशिक्षण हेतु पात्र होते हैं। इस योजना का

शुभारम्भ जुलाई 2014 में किया गया। तथा अप्रैल 2016 तक 28715 युवा कौशल प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं।

राजस्थान सरकार ने इस योजना के द्वारा 43 Project Implementing Partners (PIAs) के साथ MoU किये गए हैं जिनमें से 36 PIAs द्वारा वर्तमान में 35 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से कौशल विकास के लिए 15 से 35 वर्ष के बीच के युवा वर्ग को चिह्नित किया है।

योजना की विशेषताएँ

1. लाभकारी योजनाओं तक निर्धनों और सीमान्त लोगों को पहुँचने में सक्षम बनाना।
2. ग्रामीण गरीबों के लिए माँग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. समावेशी कार्यक्रम तैयार करना।
4. सामाजिक तौर पर वंचित समूहों (अ.जा./अ.ज.जा. 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, महिला 33 प्रतिशत) को शामिल करना।
5. प्रशिक्षण से लेकर आजीविका उन्नयन पर जोर देना।
6. रोजगार स्थायी करने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पथ-प्रदर्शन के उपाय करना।
7. नियोजन-पश्चात सहायता, प्रवास सहायता, और पूर्व-छात्र नेटवर्क तैयार करना।
8. रोजगार साझेदारी तैयार करने की दिशा में सकारात्मक पहल।
9. कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार की गारंटी करना।
10. कार्यान्वयन साझेदारी की क्षमता बढ़ाना।
11. प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने वाली नयी एजेंसियाँ तैयार करके कौशल विकास करना।
12. क्षेत्रीय तौर पर जोर देना।

कार्यान्वयन प्रारूप

डीडीयू-जीकेवाई एक तीन-स्तरीय क्रियान्वयन व्यवस्था का अनुसरण करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय इकाई एक नीति निर्माता, तकनीकी सहायक और सुविधा एजेंसी के रूप में काम करती है। डीडीयू-जीकेवाई के राजकीय मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं, और परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियाँ कौशल प्रदान करने और रोजगार परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती हैं।

परियोजना वित्त पोषण सहायता

डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से कौशल प्रदान करने वाली परियोजनाओं से जुड़े रोजगार के लिए वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रतिव्यक्ति वित्तपोषण सहायता के साथ बाजार की माँग का समाधान किया जाता है, जो परियोजना की अवधि और आवासीय अथवा गैर-आवासीय परियोजना पर आधारित है। डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से तीन माह से लेकर बारह माह की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जाता है। वित्तपोषण संबंधी घटकों में प्रशिक्षण के खर्च, रहने व खाने-पीने, परिवहन खर्च, नियोजन पश्चात सहायता खर्च, आजीविका उन्नयन और स्थायी रोजगार सहायता संबंधी खर्च में सहायता देना शामिल है। इस योजना के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, स्वचालित, चमड़ा, बिजली, प्लम्बिंग, रत्न और आभूषण आदि जैसे अनेक 250 से भी

अधिक उद्योगों में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ युवाओं को जोड़ा जाता है।

कौशल विकास पहल योजना (SDIS)

■ इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने युवकों को कौशलयुक्त बनाने की आवश्यकता को देखते हुए तथा उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पाँच करोड़ व्यक्तियों को कौशलयुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2314 युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

■ इस योजना के अन्तर्गत सरकारी आईटीआई एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से लघु अवधि के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा क्रियान्वित इस योजना के तहत प्रायोजित लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों के कौशल विकसित करना है, ताकि प्रशिक्षण के उपरान्त वे सक्षम बनकर स्वरोजगार प्रारम्भ करके अथवा रोजगार प्रदान करने हेतु अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 8247 युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। वर्तमान में 24 प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों द्वारा 25 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

■ राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) के तहत प्रायोजित लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों में कौशल विकसित करना है, ताकि प्रशिक्षण के उपरान्त वे सक्षम बनकर स्वरोजगार प्रारम्भ करने अथवा रोजगार प्राप्त करने हेतु आत्मविश्वास के साथ प्रेरित होकर अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समुचित मात्रा में संसाधन (मशीन, उपकरण, कच्चा माल आदि) तथा प्रशिक्षकों की व्यवस्था कर प्रशिक्षणार्थियों को अधिकाधिक प्रायोगिक कार्य स्वयं करने का अवसर प्रदान करता है। प्रशिक्षण अवधि के लगभग 70 प्रतिशत समय का उपयोग प्रायोगिक कार्य एवं शेष 30 प्रतिशत का विषय से संबंधित सैद्धांतिक जानकारी देने में होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समयावधि के आधार पर 31 आर्थिक क्षेत्रों के 163 पाठ्यक्रमों में बाँटा गया है:

(A) प्रशिक्षणार्थी की पात्रता :

■ आयु

विशेष योग्यजन युवाओं के लिये : 18-45 वर्ष । प्रशिक्षण हेतु यथा संभव आस-पास के गाँवों/ क्षेत्रों से ऐसे विशेष योग्यजन युवाओं का चयन किया जाना चाहिए, जो कि निर्धारित प्रशिक्षण विषय क्षेत्र में आजीविका हेतु कार्य करने में इच्छुक हों।

■ शैक्षणिक स्तर

विशेष योग्यजन युवाओं के लिए : राज्य के अल्प शिक्षित बेरोजगार विशेष योग्यजन युवाओं को चयन में स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दर्शायी गयी है।

(B) प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :

समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों की न्यूनतम संख्या 5 व अधिकतम 30 रहेगी।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के हर वयस्क को, आवेदन करने पर 15 दिनों के अन्दर स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में काम दिया जाना है। यदि काम नहीं दिया जाए, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को वर्ष में 100 दिनों के काम की गारण्टी दी गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, तथा इसके अंतर्गत कई अन्य उद्देश्य भी पूरे हो सकते हैं, जैसे उत्पादक सम्पदा का निर्माण, पर्यावरण सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण-शहरी पलायन में अंकुश एवं सामाजिक समता को बढ़ावा। राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना फरवरी 2006 से 6 जिलों- बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में प्रारम्भ हुई तथा अप्रैल 2007 से 6 अन्य जिलों- बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर, सर्वाई माधोपुर एवं टोंक तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 से राज्य के शेष 21 जिलों को सम्मिलित करते हुए समस्त राज्य में संचालित की जा रही है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मोनीटर करेगी।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की भूमिका

रोजगार गारण्टी से जुड़ी कम से कम आधी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जाना है, यह लोगों द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर विकास के काम कराने का बड़ा अवसर है। ग्राम पंचायत इस मामले में भी, अन्य मामलों की तरह, ग्राम सभा के प्रति जबाब देय होगी। रोजगार गारण्टी में ग्राम सभा की प्रत्यक्ष भूमिका है, जैसे उपयोगी कार्य की पहचान करना, सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न कराना आदि।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की मुख्य जिम्मेदारियाँ

ग्राम पंचायत निम्नांकित कार्यों के लिए जिम्मेदार है :-

1. परिवारों का पंजीकरण करना
2. जॉब कार्ड निर्गत करना
3. काम का आवेदन स्वीकार करना
4. तिथि अंकित कर प्राप्ति रसीद देना
5. आवेदन के 15 दिनों के अन्दर काम मुहैया करवाना
6. श्रमिकों को सही और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना
7. कार्यों की योजना बनाना
8. योजनाओं का संचालन करना
9. दस्तावेज का संधारण करना
10. ग्राम पंचायत में रोजगार गारण्टी कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करना

ग्राम सभा के अधिकार

1. कार्यों की योजना बनाना

2. रोजगार गारन्टी के कार्यों का प्राथमिकतानुसार चयन करना
3. रोजगार गारन्टी के कार्यों की निगरानी करना

पंजीकरण एवं जॉब कार्ड

रोजगार गारन्टी कानून के क्रियान्वयन की शुरुआत परिवारों के पंजीकरण और जॉब कार्ड के वितरण से होती है। ग्राम पंचायत में रहने वाले किसी भी परिवार को जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने का अधिकार है, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे परिवारों को 15 दिन के अन्दर जॉब कार्ड दिलवाएँ। प्रत्येक परिवार को एक अलग जॉब कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। हर जॉब कार्ड धारी परिवार को रोजगार गारन्टी कानून के तहत साल में 100 दिन के काम का अधिकार है। यह परिवार के सदस्यों पर निर्भर है कि वह इन 100 दिनों का आपस में किस तरह बँटवारा करें। उनकी अपनी इच्छा के अनुरूप, वे एक साथ या अलग-अलग या परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा पूरे 100 दिन का काम करने का निर्णय ले सकते हैं।

पंजीकरण कैसे करें?

जॉब कार्ड पाने के लिए हर परिवार को रोजगार गारन्टी कानून के तहत निम्न प्रकार पंजीकृत करना जरूरी है

- पंजीकरण हेतु आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय को दे सकते हैं।
- आवेदन में परिवार के उन सभी वयस्क (महिलाओं सहित) सदस्यों के नामों का उल्लेख होगा जो रोजगार गारन्टी कानून के तहत काम करना चाहते हैं। नाम के साथ उम्र, लिंग, जाति समूह (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का नाम भी लिखना होगा।
- आवेदन सादे कागज या प्रपत्र पर दिया जा सकता है।
- ग्राम पंचायतों को जॉब कार्ड हेतु मौखिक आवेदन भी स्वीकार करना चाहिए।
- पंजीकरण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत कार्यालय में साल भर जारी रहेगी।

सत्यापन

पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्ति के पश्चात् ग्राम पंचायत को तुरन्त हर आवेदन का सत्यापन करना चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या निम्नांकित शर्तें पूरी की गई हैं –

- आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी है।
- सभी आवेदक वयस्क है यानि 18 वर्ष से ऊपर।
- वह एक ही परिवार के सदस्य है।

सत्यापन के बाद सभी परिवारों का नाम "पंजीकरण रजिस्टर" में दर्ज करना चाहिए जो ग्राम पंचायत कार्यालय में संधारित किया जाता है। हर पंजीकृत परिवार को एक अलग पंजीकरण नम्बर दिया जाएगा।

जॉब कार्ड निर्गत करना

सत्यापन के बाद हर पंजीकृत परिवार को निम्नांकित प्रक्रिया से जॉब कार्ड दिया जाना जरूरी है –

- आवेदन के 15 दिनों के अन्दर निर्गत किया जाना जरूरी है।
- जॉब कार्ड में वयस्क सदस्य का फोटो लगाया जाना आवश्यक है।
- हर जॉब कार्ड में कुछ आवश्यक प्रविष्टियाँ जैसे जॉब कार्ड नम्बर, निर्गत करने की तारीख, निर्गत करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, परिवार का विस्तृत ब्यौरा आदि का होना जरूरी है।
- जॉब कार्ड को संभाल कर रखे यह 5 साल के लिए है
- जॉब कार्ड निःशुल्क दिया जाना चाहिए।
- आवेदकों को उसके या उसमें लगे फोटोग्राफ के लिए पैसा नहीं लिया जा सकता।
- यदि जॉब कार्ड खो जाए या नष्ट हो जाये तो परिवार दूसरा जॉब कार्ड बनवा सकता है।

राज्य की प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 March 2016 तक
1.	जॉबकार्ड धारी परिवारों की संख्या (लाखों में)	99.47	98.3	98.3	98.57
2.	कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या (लाखों में)	42.17	36.15	36.84	34.14
3.	कुल सृजित मानव दिवस (लाखों में)	2202.38	1838.55	1684.98	1449
	1. अनुसूचित जाति द्वारा सृजित (लाखों में)	407.49	365.03	332.03	315.74
	2. अनुसूचित जनजाति द्वारा सृजित (लाखों में)	524.44	481.09	444.55	371.76
	3. महिलाएं द्वारा सृजित (लाखों में)	1518.51	1245.76	1150.07	1004.99
4.	100 दिवस पूरे करने वाले परिवारों की संख्या (लाखों में)	4.21	4.46	2.81	1.52
5.	औसत रोजगार दिवस(प्रति परिवार)	52	51	46	42
6.	व्यय राशि (रुपये करोड़ों में)	3271.55	26.30	3262	2232.17
	औसत श्रमिक दर रुपये प्रति मानव दिवस	99	107	109	119
7.	औसत व्यय प्रति जिला (रुपये करोड़ों में)	99.13	79.7	98.55	67.64
8.	औसत व्यय प्रति ग्राम पंचायत समिति (रुपये करोड़ों में)	13.19	10.6	13.11	7.57
9.	औसत व्यय प्रति ग्राम पंचायत(रुपये लाखों में)	35.65	28.66	35.44	22.56
10.	औसत व्यय रुपये प्रति मानव दिवस	149	143	193	15

स्रोत :- वेबसाइट <http://nrega.raj.nic.in>

काम का आवेदन

रोजगार गारण्टी कानून का बुनियादी सिद्धान्त है "रोजगार की गारण्टी" जिसका अर्थ है कि यदि कोई काम की माँग करता है तो उसे 15 दिन के अन्दर काम दिया जाना चाहिए।

आवेदन कैसे करें?

काम का आवेदन सामान्यतः ग्राम पंचायत के मुखिया या सचिव को देना चाहिए, हर आवेदन में स्पष्ट तौर पर यह अंकित होना चाहिए :

- आवेदन का जॉब कार्ड नम्बर
- किस दिन से काम चाहिए, और
- कितने दिन का काम चाहिए

आवेदन सादे कागज या उपलब्ध होने पर फार्म पर दिया जा सकता है। हर आवेदन कम से कम 14 दिन के काम के लिए होना चाहिए।

व्यक्तिगत आवेदन के अलावा "सामूहिक आवेदन" (कई लोगों का एक साथ) भी दिया जा सकता है। काम के लिए "मौखिक आवेदन" भी दिया जा सकता है यह उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं।

कार्यस्थल पर आवेदन

लोग कार्यस्थल पर जाकर भी काम के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिशा-निर्देश के अनुसार उन लोगों को भी काम पाने में सहायता मिलेगी जो किसी कारण वहाँ आवेदन की प्रक्रिया को पहले से पूरा नहीं कर पाये हों। औपचारिक रूप से आवेदन नहीं करना, किसी को काम नहीं मिलने का कारण नहीं हो सकता।

बेरोजगारी भत्ता

काम माँगने के 15 दिन के अन्दर काम नहीं मिलने पर, व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का हकदार है

- पहले 30 दिन न्यूनतम मजदूरी का एक-चौथाई।
- 30 दिन के बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा।

मजदूरी का भुगतान

1. सभी श्रमिक किए गए काम के आधार पर मजदूरी के हकदार हैं।
2. समान काम के लिए समान भुगतान। महिला और पुरुष को काम के आधार पर एक समान मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है।
3. मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जाना चाहिए।
4. ऐसा ना होने पर राज्य सरकार को मुआवजा देना होगा।
5. मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से ही होगा।
6. हर मजदूर का अपना खाता हो चाहे महिला हो या पुरुष।

कार्य स्थल प्रबंधन

कार्य स्थल प्रबंधक "मैट" की रोजगार गारण्टी के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हर कार्य स्थल पर एक शिक्षित मैट होना चाहिए। एक मैट को ज्यादा से ज्यादा 50 मजदूरों की देखरेख की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा मैट का चयन

एक खुले पारदर्शी एवं प्रतिभागी तरीके से कराया जाना चाहिए। महिलाओं को भी मेट कार्य हेतु उपयुक्त संख्या में शामिल करना चाहिए। मेट को पढ़ा-लिखा होना चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य विशेष शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।

कार्य स्थल पर सुविधाएँ

- कार्य स्थल पर मजदूरों की सुविधा के लिए छाया, पानी, मेडिकल, क्रैच जैसी सुविधाओं का होना अनिवार्य है।
- 6 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे हो, तो उनकी देखरेख के लिए एक महिला को जिम्मेदारी दी जायेगी।

दुर्घटना हो तो

- कार्य स्थल पर चोट लगने पर सरकार मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराएगी।
- कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में 25 हजार रुपये का भुगतान मृतक के परिवार को किया जाएगा।

ग्राम सभा की जिम्मेदारी

- नरेगा के तहत किए जाने वाले काम जैसे सड़क, तालाब, चेक डैम आदि ग्राम सभा में तय होंगे।
- उन कामों की देखरेख करना ग्राम सभा की जिम्मेदारी है।
- ग्राम सभा अंकेक्षण भी करेगी, जिसमें नरेगा के सभी दस्तावेजों की जाँच करनी होगी।

मस्टर रोल एवं दस्तावेज

- हाजरी प्रतिदिन मस्टर रोल में कार्य स्थल पर ली जाएगी।
- नरेगा से संबंधित सभी दस्तावेज कोई भी, किसी भी समय निःशुल्क देख सकता है।

शिकायत

- इस योजना की जाँच के लिए ग्राम सभा निगरानी समिति बनाएगी।
- ग्राम सभा साल में कम से कम दो बार इन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करेगी।
- आपको शिकायत करने का और सात दिनों में जवाब पाने का अधिकार है।
- पंचायत सेवक, रोजगार सेवक या कार्यक्रम पदाधिकारी से शिकायत करें।
- शिकायत निवारण के लिए लोक पाल के पास भी जा सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. बहुविकल्पात्मक प्रश्न

प्र. 1 प्रथम युवा कौशल दिवस कब मनाया गया?

- (अ) 15 मई 2015 (ब) 15 जून 2015
(स) 15 अगस्त 2015 (द) 15 जुलाई 2015

प्र. 2 आरमोल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है –

(22)

- (अ) कमजोर एवं गरीब लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना
(ब) कमजोर एवं गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा
(स) कमजोर एवं गरीब परिवारों को निःशुल्क शौचालय एवं निर्माण सुविधा
(द) कमजोर एवं गरीब लोगों के लिए आजीविका का सृजन एवं प्रोत्साहन
- प्र. 3 पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है –
(अ) R.S.L.D.C. (ब) R.S.R.T.C.
(स) R.T.D.C. (द) R.S.E.B.
- प्र. 4 बेरोजगार ग्रामीण गरीब युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रमुख योजना है
(अ) E.L.S.T.P. (ब) DDU-GKY
(स) R.S.T.P. (द) S.D.I.S.
- प्र. 5 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य है?
(अ) 22 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना।
(ब) 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना।
(स) 34 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना।
(द) 40 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना।
- प्र. 6 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून राज्य में किस वर्ष लागू हुआ?
(अ) 2004 (ब) 2005
(स) 2006 (द) 2007
- प्र. 7 मनरेगा में आवेदन के कितने दिवस के अन्दर कार्य दिया जाता है ?
(अ) 07 दिवस (ब) 10 दिवस
(स) 15 दिवस (द) 30 दिवस
- प्र. 8 मनरेगा में अंकेक्षण किसके द्वारा एवं कितनी बार किया जाता है?
(अ) ग्राम सभा, वर्ष में दो बार (ब) पंचायत समीति, वर्ष में दो बार
(स) जिला परिषद, वर्ष में दो बार (द) कलेक्टर, वर्ष में दो बार
- प्र. 9 "रोजगार की गारण्टी" इसका अर्थ है ?
(अ) काम की माँग पर 15 दिन के अन्दर काम देना
(ब) किसी भी प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराना
(स) रोजगार हेतु विदेश भेजने की व्यवस्था करना
(द) काम की माँग पर 30 दिन के अन्दर काम देना

2. अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

- प्र. 1. मनरेगा का पूरा नाम लिखिए ?
प्र. 2. मनरेगा योजना में हर परिवार को कितने दिनों के काम की गारण्टी दी गई है ?
प्र. 3. मनरेगा किस वर्ष से अधिसूचित की गई है ?
प्र. 4. आरमोल का पूरा नाम क्या है?
प्र. 5. आरमोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?

3. लघूत्तरात्मक प्रश्न

- प्र. 1. रोजगारपरक लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी किन-किन स्थानों से प्राप्त की जा सकती है ?
प्र. 2. नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता बताइये।

- प्र. 3. कौशल राजस्थान के लाभ तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालिये ।
- प्र. 4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (मनरेगा के संदर्भ में)
(अ) बेरोजगारी भत्ता (ब.) कार्य स्थल प्रबंधन (स.) ग्राम सभा की भूमिका
- प्र. 5. कन्वर्जेंस प्रोत्साहन पर प्रकाश डालिये ।

4. निबन्धात्मक प्रश्न

- प्र. 1. राजस्थान आजीविका एवं कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के दौरान चलाये गये कार्यक्रमों का विवरण दीजिए ।
- प्र. 2. रोजगारपरक लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्णन कीजिए ।
- प्र. 3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।
- प्र. 4. नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप में लिखिए ।
- प्र. 5. कौशल विकास राजस्थान की विशेषताओं पर एक लेख लिखिए ।
- प्र. 6. मनरेगा के श्रमिकों को कार्यस्थल पर मिलने वाले सुविधाओं का वर्णन कीजिए ।

जल स्वावलंबन

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की आवश्यकता

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 343 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 168 लाख हैक्टेयर भूमि ही कृषि योग्य है। राज्य की 101 लाख हैक्टेयर भूमि बंजर है। राज्य में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है जबकि उपलब्ध जल मात्र 1.16 प्रतिशत ही है।

दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य को दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती है जिसके पश्चिम में थार मरुस्थल है जो लगभग राज्य के क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत है। राज्य की वार्षिक वर्षा शुष्क गर्म पश्चिम में 100 मि.मी. से दक्षिण पूर्व में 900 मि.मी. तक होती है। प्रत्येक 5 वर्ष में सामान्यतः 3 वर्ष अकाल से प्रभावित होते हैं अर्थात् अनिश्चित एवं असामयिक वर्षा ओर उसके असंतुलित वितरण के कारण फसल उत्पादन असुरक्षित रहते हैं। कभी-कभी कम समय में अधिक वर्षा होने से प्राप्त वर्षा जल का अधिकतम भाग व्यर्थ बह जाता है। राज्य में जल भरण ढाँचों के अभाव में जल का समुचित उपयोग नहीं होता है जिससे कुओं का जलस्तर गिरता जा रहा है। राजस्थान में प्रायः वर्षा अंतराल काफी अधिक होता है जिससे फसल उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप राज्य के कृषक की कृषि उत्पादन में कमी तथा कृषि योग्य भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो जाने से चारा, लकड़ी, दूध इत्यादि की कमी के कारण सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ कमजोर होती जा रही हैं। इस परिस्थिति के लिए पानी की कमी ही प्रमुख कारण है।

वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में अनिश्चितता, अधिकाँश पंचायत समितियों में प्रति वर्ष जल स्तर का गिरना, अधिकाँश क्षेत्र प्रति वर्ष अकाल की चपेट में आने से उन क्षेत्रों के लिए टैंकर से पानी उपलब्ध करवाने एवं पशुओं के लिए चारे आदि पर बहुत बड़ी राशि व्यय होती है। उपरोक्त स्थितियों से निपटने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया गया है।

राज्य की लगभग 70 प्रतिशत भूमि बारानी है एवं वर्षा पर निर्भर है। राज्य में कम वर्षा होने के उपरान्त भी अधिकाँश क्षेत्रों से जल व्यर्थ बहकर निकल जाता है और साथ ही खेतों में कटाव कर उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि जगह-जगह वर्षा जल का संचय कर प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए।


वर्तमान में राजस्थान राज्य की भौगोलिक एवं जल संसाधन संरचनाओं का परिदृश्य निम्न प्रकार है:-

1. राज्य का क्षेत्रफल	: 342.52 लाख हैक्टेयर
2. सिंचाई योग्य क्षेत्रफल	: 257.00 लाख हैक्टेयर
3. औसत वर्षा	: 531.00 मि.मी.
4. कुल उपलब्ध सतही जल	: 25.37 बी.सी.एम.
5. अन्तरराज्यीय जल समझौते के तहत प्राप्त राज्य का हिस्सा	: 19.232 बी.सी.एम.
6. राज्य की वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं में कुल संग्रहित जल	: 11.885 बी.सी.एम.

7. कुल सिंचित क्षेत्र	: 42.25 लाख हैक्टेयर
8. कुल उपलब्ध भू-जल	: 10.613 बी.सी.एम.
9. कुल जल माँग	: 11.99 बी.सी.एम.

(MCM-Million cubic metre, BCM- Billion cubic metre)

राज्य में कुल 3439 वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर 11885.4 एम.सी.एम. जल को संग्रहित किया गया है जिसमें से 24 वृहद बाँध जिनकी भराव क्षमता 6296.48 एम.सी.एम.ए 84 मध्यम बाँध जिनकी भराव क्षमता 2133.54 एम.सी.एम. व 3331 लघु बाँध जिनकी भराव क्षमता 3455.38 एम.सी.एम. है। उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में अभी भी वर्षा जल संग्रहण क्षमता उपलब्ध वर्षा जल से कम है, इसलिए अधिशेष जल वाले नदी बेसिन में जल संग्रहण हेतु फोर वाटर कॉन्सेप्ट के तहत कार्य किया जा रहा है।



चित्र-1 : विश्व में जल का वितरण

वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण निम्न स्रोतों द्वारा होता है :-

1. सतही जल का भण्डारण (तालाब, पोखर आदि)
2. जल का भूमिगत संचयन (टांका, कुंड आदि)
3. जल का कृत्रिम पुनर्भरण (Artificial Recharge of Aquifer) (नलकूप, कुएँ, हैडपम्प)।

वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण क्यों ?

- वर्षा जल बहुतायत में उपलब्ध होता है साथ ही जीवाणुओं और कार्बनिक पदार्थों से मुक्त एवं हल्का होता है।
- वर्षा जल नालें एवं सड़कों पर व्यर्थ ही बह जाता है एवं सड़कों को क्षतिग्रस्त करता है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न करता है।
- कृत्रिम पुनर्भरित किए जाने वाले वर्षा जल का वाष्पीकरण एवं निस्वदन कम होता है।
- वर्षा जल शहर के निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है तथा भूमि का कटाव भी करता है।

- संरचना की लागत कम आती है तथा कम समय में ही बनाई जाती है ।
- वर्षा जल पीने के लिये उपयुक्त होता है तथा इसके शुद्धिकरण हेतु खर्चीले उपायों की आवश्यकता नहीं होती है ।
- पुनर्भरण के कार्य में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है ।



Improved Tanks टाँका



नहरें



Khads खड़ीन



फार्म पॉण्ड Farm ponds

चित्र-2 : विश्व में जल का वितरण

पुनर्भरण के लाभ :-


- जहाँ पर भू-जल और सतही जल अपर्याप्त हो वहाँ वर्षा जल का पुनर्भरण घटते भू-जल की समस्या का आदर्श समाधान है ।
- पुनर्भरण एवं संचयन किए जाने वाला जल, उपयोग किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होता है ।
- भू-जल स्रोतों की जल क्षमता में वृद्धि होती है ।
- जीवाणुओं रहित जल का जलभूत में भण्डारण होता है ।
- पुनर्भरण संरचना का निर्माण उसी स्थान पर उपलब्ध सामग्री से किया जाता है ।
- कम लागत में संरचना का निर्माण किया जा सकता है ।
- भू-जल की गुणवत्ता में सुधार होता है ।
- भूमिगत पुनर्भरण संरचना बनाने में भूमि सतह का उपयोग सतही जल भण्डारण की अपेक्षा कम होता है ।
- संग्रहित जल का उपयोग आवश्यकतानुसार जल के अभाव में किया जाता है ।

वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण हेतु अपनायी जा सकने वाली विधियाँ:-

- (1) छतों पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण ।
- (2) सड़क पर बहने वाले वर्षा जल का कृत्रिम पुनर्भरण ।
- (3) परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार ।

(1) छतों पर गिरने वाले वर्षाजल का पुनर्भरण :-

छतों पर गिरने वाला अधिकांश वर्षा जल व्यर्थ बहकर गंदे नालों में मिलकर या तो दूषित हो जाता है या उसका वाष्पीकरण हो जाता है ये वर्षा जल पृथ्वी की सतह से नीचे विद्यमान भू-जल भण्डार के सीधे सम्पर्क में नहीं हो पाता, इसके परिणाम स्वरूप भू-जल पुनर्भरण कम हो पाता है। अतः व्यर्थ जा रहे इस वर्षा जल का कृत्रिम पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ रिचार्ज क्षेत्र में भवनों व सड़कों के निर्माण के कारण सीमेण्ट व कंक्रीट का जंगल सा बन गया है, ऐसे में इन क्षेत्रों में वर्षा जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु ऐसी संरचनाओं की आवश्यकता है जिनकी लागत बहुत कम हो, संरचना निर्माण में कम स्थान उपयोग में आए, जो कम समय में व बिना किसी कठिनाई के बनाई जा सकें और संरचना पर्यावरण की सुरक्षा हो।



चित्र 3 छत के जल का संचयन

संरचना के सफल संचालन हेतु निम्न सावधानियों को अपनाया जाना आवश्यक है :-

- ◆ संरचना के उचित रख रखाव हेतु वर्षा पूर्व छतों की पूर्णतया सफाई किया जाना उचित होगा।
- ◆ प्रथम वर्षा जल को आवश्यक रूप से बाहर निष्कासित किया जाए।
- ◆ वर्षा पूर्व फिल्टर पिट की ऊपरी परत की सफाई किया जाना।

भवनों के क्षेत्रफल के अनुसार संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

जहाँ भवनों का क्षेत्रफल 100 से 300 वर्गमीटर होता है, वहाँ एक सिल्टिंग पिट एवं पुनर्भरण बोर होल युक्त शाफ्ट का निर्माण किया जाता है। सिल्टिंग पिट की साईज 0.70 मीटर (लम्बाई) X 70 मीटर (चौड़ाई) X 1.00 मीटर (गहराई) होती है जिसमें 12 मि. मि. व्यास के छिद्र वाली लोहे की जाली लगाई जाती है। वर्षा जल के साथ आया मोटा कचरा आदि रुक जाता है तथा केवल साफ पानी पुनर्भरण शाफ्ट में प्रवेश करता है। शाफ्ट का व्यास 0.75 मीटर तथा गहराई 8 मीटर होती है। शाफ्ट के तल में पुनर्भरण बोर होल का निर्माण किया जाता है जिसका व्यास 100 मि.मी. तथा गहराई जल स्तर के अनुसार रखी

जाती है। इस बोर होल में 8 से 12 मि.मी. साईज के ग्रेवल भरे जाते हैं। शाफ्ट के तल में 50–50 से.मी. मोटाई को ग्रेवल (8 से 12 मि.मी.), बारीक ग्रेवल (3 से 8 मि.मी.) तथा सबसे ऊपर मोटी रेत (1 से 3 मि.मी) की परतें बिछाई जाती हैं। इस फिल्टर संरचना द्वारा वर्षा जल छनकर भू-जल भण्डार को पुनर्भरित करता है। इस प्रकार की संरचना की अनुमानित लागत रु. 12,000 से 15,000 तक आती है। यदि भवन का क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर से कम हो तो संरचना की अनुमानित लागत रु. 6000 से 8000 तक आती है। यदि भवन का क्षेत्रफल 300 से 500 मीटर तक हो तो अनुमानित लागत रु. 15000 से 18,000 तक आती है। संरचना की डिजाईन उपरोक्तानुसार ही होगी लेकिन बोरहोल के मध्य में छिद्रयुक्त एयर पाईप लगाया जाता है जिसका ऊपरी भाग भूमि सतह के ऊपर रहता है। एयर पाईप के द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण के समय हवा का गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है (चित्र 2)।

(2) सड़क पर बहने वाले वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण

ऐसे स्थान जहाँ वर्षा जल सड़कों, पुलों, ओवरब्रिज अथवा खुले स्थानों पर अधिक मात्रा में एकत्रित होता है वहाँ ऐसी पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। इस जल को जलभृत में पुनर्भरण करने हेतु सबसे पहले सिल्टिंग पिट में प्रवेश कराया जाता है। सिल्टिंग पिट में वर्षा जल के साथ बहकर आने वाले कचरे को रोकने के लिए एक जाली लगाई जाती है। सिल्टिंग पिट के तल में सिंक होल बनाया जाता है, जिसमें गाद आदि रूक सके। सिल्टिंग पिट का आकार सामान्यतः 3 मी. (लम्बाई) X 3 मी. (चौड़ाई) X 2.50 मी. (गहराई) का होता है तथा वर्षा जल की मात्रा पर निर्भर करता है। सिल्टिंग पिट में पानी जाली से छन कर डिसइन्फेक्शन एजेंट के माध्यम से होता हुआ फिल्टर पिट में जाता है, जिसका आकार 12 मी. (लम्बाई) X 3 मी. (चौड़ाई) X 4.50 मी. (गहराई) होता है। फिल्टर पिट में इनवर्टेड फिल्टर मीडिया भरा जाता है जिसमें सबसे नीचे बड़ी ग्रेवल 8 से 12 मि.मी. साईज की तथा उसके ऊपर बारीक ग्रेवल 3 से 8 मि.मी. साईज की परतें बिछाई जाती हैं। इनकी मोटाई लगभग 50.50 से.मी. होती है। पिट के तल में पुनर्भरण बोरहोल्स का निर्माण किया जाता है जिनकी संख्या पानी की मात्रा के अनुसार निर्धारित की जाती है।

सड़कों पर बहने वाले वर्षा जल के पुनर्भरण में निम्न सावधानियों पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है :-

1. सड़कों पर बहने वाले वर्षा जल में ईकोलीफार्म जीवाणुओं को रेत के फिल्टर माध्यम द्वारा कम किया जाना आवश्यक है।
2. मानक मापदण्डों के अनुरूप रासायनिक गुणवत्ता वाले वर्षा जल को ही पुनर्भरित किया जाए।
3. सड़कों पर बहने वाले वर्षा जल के पुनर्भरण आरम्भ होने के उपरान्त समय-समय पर आस-पास के क्षेत्र की भू-जल गुणवत्ता की जाँच किया जाना अति आवश्यक है।
4. सड़क पर बहने वाले वर्षा जल में कई प्रकार के दूषित पदार्थ होते हैं जिनके निस्तारण पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है।

सावधानियाँ :-

वर्षा जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये निम्न सावधानियाँ आवश्यक हैं :-

1. जल ग्रहण क्षेत्र के स्तर पर
 - जलग्रहण क्षेत्र को स्वच्छ रखना।
 - जलग्रहण क्षेत्र में कचरा रोकने के लिये जाली लगाना।

2. पुनर्भरण से पहले

■ वर्षा जल को छानने के लिए फिल्टर माध्यम से प्रवाह कराना आवश्यक है।

(3) परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार :

हम लोगों के पूर्वजों को किसी कानून ने संग्रहण एवं रिचार्ज हेतु बाध्य नहीं किया था बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों तथा जनता की आवश्यकताओं के हितार्थ मान लिया था। वर्षा जल संग्रहण प्राचीन समय से ही हमारे पूर्वजों ने वर्षा जल संग्रहण के महत्व को समझा व इसके व्यर्थ न बह जाने हेतु ठोस व आवश्यक कदम उठाए। राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में बनाये जाने वाले टाँके, कुंड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसी के साथ राज्य के अधिकांश हिस्सों में निर्मित कुएँ, बावड़ी व तालाब भी इसके सार्थक उदाहरण हैं।

लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज यह परम्परागत जल संरक्षण ढाँचे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं व आस-पास के क्षेत्रों का कूड़ा कचरा पात्र बन कर रह गए हैं। अब आवश्यकता है, कि हम अपने आस-पास उपस्थित इन परम्परागत इकाइयों का जीर्णोद्धार कर पुनर्जीवित करें। इससे पानी व्यर्थ होने से बचाया जा सकेगा व सुगम उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त सतह पर जितना भी वर्षा जल गिर कर व्यर्थ बह कर चला जाता है, उसे अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करना चाहिए। परम्परागत जल स्रोतों बावड़ी, टाँके, कुओं आदि का जीर्णोद्धार कर वर्षा जल का संचयन एवं भू-जल भण्डार का कृत्रिम पुनर्भरण किया जा सकता है।

भू-जल पुनर्भरण हेतु किए गए प्रयास :-

राज्य में वर्षा जल के संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण हेतु किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय भवनों के परिसरों में तथा अन्य जिलों में भी संरचनाओं का निर्माण भू-जल विभाग द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से करवाया गया है। वर्तमान में जन साधारण की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित जल प्रबन्धन, समुचित जल उपयोग तथा वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इन उपायों को अपनाने से निश्चय ही इस समस्या के समाधान में मदद मिलेगी।

वर्षाकालीन जल के संचयन के लिए हर घर में, स्कूलों एवं थानों में तथा सरकारी इमारतों में संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करना अब अति आवश्यक हो गया है, साथ ही परम्परागत बावड़ी, तालाबों, जलाशयों की सफाई भी की जाए ताकि इनमें पानी का संग्रहण अधिक से अधिक हो सके।

सतही जल :-

राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। राज्यों में मानसून की अवधि जून से सितम्बर तक है। वर्षा जल सतही एवं भू-जल का मुख्य स्रोत है। राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता रहती है। वर्षा की मात्रा तथा इसके वितरण में भी बहुत भिन्नता है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में वार्षिक वर्षा मात्र 100 मिमी है जबकि बाँसवाड़ा एवं झालावाड़ जिलों में वार्षिक वर्षा लगभग 1000 मिमी है। प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 531 मिमी है। कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90 प्रतिशत भाग जून से सितम्बर तक प्राप्त हो जाता

है। जुलाई एवं अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तथा कुल वर्षा का लगभग 65 प्रतिशत भाग इन दो महीनों में प्राप्त हो जाता है। इस समय वर्षा का जल बहाव द्वारा मौसमी नदियों द्वारा बह जाता है। इस समय अतिरिक्त जल को भू-जल पुनर्भरण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

भू-जल

जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राजस्थान में जल की कमी की समस्या के समाधान हेतु भू-जल का महत्वपूर्ण योगदान है। सतत एवं सफल प्रयासों से रेगिस्तानी व पहाड़ी जिलों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल जुटाने के अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ी है प्रदेश में सिंचाई की लगभग 70 प्रतिशत एवं पीने के पानी की लगभग 90 प्रतिशत आवश्यकता भू-जल से पूरी होती है राज्य के भू-जल संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु भू-जल विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है पश्चिमी एवं मध्य राजस्थान में ज्यादातर स्थानों पर भू-जल खारा है। जिससे इसका सिंचाई एवं पीने के लिए उपयोग सीमित है। भू-जल की गहराई भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न है। अरावली के पूर्व में भू-जल की गहराई पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम है। अरावली के पूर्वी भाग में भू-जल स्तर 10 से 25 मीटर तथा पश्चिमी भाग में 20 से 80 मीटर की गहराई पर है। नहरी क्षेत्रों जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाँसवाड़ा, कोटा और बून्दी जिलों में भू-जल स्तर कम गहराई पर है। पश्चिमी राजस्थान में भू-जल स्तर की गहराई ज्यादा है। राजस्थान के पूर्वी भाग में भू-जल की गुणवत्ता ठीक है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर स्थानों पर भू-जल की गुणवत्ता ठीक नहीं है। राज्य में अति भू-जल दोहन होने वाली पंचायत समितियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। (सारणी 1)। भू-जल दोहन लगातार तेजी से बढ़ने के कारण भू-जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है (सारणी 2)। यह एक चिन्ता का विषय है। राजस्थान के पूर्वी भाग में भू-जल विकास पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक है अतः भू-जल पुनर्भरण जल सम्पदा के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से कूप द्वारा भू-जल पुनर्भरण जल सम्पदा के संरक्षण के लिए अति आवश्यक हैं और सरकार के वित्तीय सहयोग से कूप द्वारा भू-जल पुनर्भरण योजनान्तर्गत 10.50 लाख कुओं से भू-जल पुनर्भरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सारणी 1 राजस्थान में पंचायत समितित्वार भू-जल विकास

भू- जल विकास की श्रेणी	पंचायत समितियों की संख्या				
	1984	1988	2001	2004	2009
अतिदोहन (>100%)	12	41	86	140	166
संवेदनशील (90-100)	11	26	80	50	25
कम संवेदनशील (70-90%)	10	34	21	14	16
सुरक्षित (>70%)	203	135	49	32	31
कुल	236	236	236	236	239

सारणी 2 राजस्थान में भू-जल की वर्तमान स्थिति (31.03.2009)

घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए वार्षिक उपयोग	165435 हैक्टेयर मीटर
सिंचाई के लिए वार्षिक उपयोग	1286489 हैक्टेयर मीटर

वार्षिक भू-जल उपलब्धता
शेष उपलब्ध भू-जल
भू-जल विकास की स्थिति

1079182 हैक्टेयर मीटर
(-) 372742 हैक्टेयर मीटर
134.54 प्रतिशत

सिंचाई

कम वर्षा तथा इसका अनियमित एवम् असमान वितरण होने के कारण वर्षा के मौसम में भी पानी की कमी के कारण फसल उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। मौसम की अनिश्चितता के कारण किसान कृषि हेतु सतही जल तथा भूमिगत जल स्रोतों पर निर्भर है। राजस्थान में वर्षा जल को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करना अति आवश्यक हो गया है। जिससे सतही जल की उपलब्धता बढ़ने के साथ-साथ भू-जल स्तर भी बढ़ सके। अतः उपलब्ध जल (वर्षा, जल, सतही जल एवं भू-जल) के उपयोग हेतु सिंचाई सुविधा में विस्तार करना राज्य के विकास के लिए अपरिहार्य है।

राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 4.00 लाख हैक्टेयर भूमि में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी जिसमें से 3 लाख 25 हजार हैक्टेयर वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से तथा 80 हजार हैक्टेयर में लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई होती थी। वृहद परियोजनाओं में केवल गंगा नहर सिंचाई प्रणाली ही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही राज्य सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि न केवल राज्य के अन्दर उपलब्ध जल का उपयोग किया जाए बल्कि पड़ोसी राज्यों से राज्य को आवंटित हिस्से के जल को भी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रान्ति लाई जाए। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में प्रथम योजना से ग्यारहवीं योजना तक सिंचित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है (सारणी 3)।

सारणी 3 राजस्थान में विभिन्न स्रोतों द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर)

पंचवर्षीय योजना	सिंचाई स्रोत				
	नहर	तलाब	कुएँ एवं नलकूप	अन्य	कुल
प्रथम योजना	2.48	1.32	8.05	0.22	12.07
द्वितीय योजना	3.76	2.29	9.19	0.22	15.46
तृतीय योजना	4.87	2.03	10.23	0.40	17.53
वार्षिक योजना	6.20	2.19	10.73	0.14	19.26
चतुर्थ योजना	7.97	1.95	11.82	0.29	22.03
पांचवी योजना	9.00	2.15	15.43	0.34	26.92
छठी योजना	10.18	1.36	19.18	0.45	31.17
सातवीं योजना	11.81	1.02	20.71	0.41	33.95
आठवीं योजना	14.52	2.04	32.48	0.45	49.49
नवीं योजना	15.01	0.99	37.23	0.48	53.72
दसवीं योजना	14.28	0.72	40.92	0.64	56.56
ग्यारहवीं योजना	15.65	0.50	44.90	0.75	61.80

वर्ष 2009-2010 तक

स्रोत :- आर्थिक समीक्षा 2011-12 आयोजना विभाग, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

राज्य में नहर, तालाब, कुएँ एवं नलकूप सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में वास्तविक सिंचित क्षेत्र नहर, तालाब, कुएँ एवं नलकूप तथा अन्य स्रोतों द्वारा क्रमशः 15.65, 0.50, 44.90 एवं 0.75 लाख हैक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्र क्रमशः 23.62, 0.52, 52.76 एवं 0.80 लाख हैक्टेयर है।

अभ्यास प्रश्न

(अ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- वर्षा जल संचय का सतही स्रोत है।
(अ) तालाब (ब) टाँका
(स) कुंड (द) कुँआ
- राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग प्राप्त होता है।
(अ) जून-जुलाई में (ब) जुलाई-अगस्त
(स) अगस्त-सितम्बर (द) सितम्बर-अक्टूबर में
- राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं
(अ) नहर (ब) तालाब
(स) कुएँ एवं नलकूप (द) झीले
- यदि भवन का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम है तो जल संचय का लागत व्यय होगा।
(अ) 15000-20000 रु. (ब) 12000-15000 रु.
(स) 6000-8000 रु. (द) 15000-18000 रु.
- सड़क पर बहने वाले वर्षा जल को संचय करने के लिए बनाये जाने वाली संरचना में सबसे नीचे की परत की ग्रेवल साइज होती है।
(अ) 8-12 मिमी. (ब) 3-8 मिमी.
(स) 50-60 सेमी. (द) 15-20 सेमी.

(ब) अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

- राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है ?
- राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है ?
- राज्य की कुल जल माँग कितनी है ?
- राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है ?
- वर्ष 2013 के आकड़ों के अनुसार कितनी पंचायत समितियाँ सुरक्षित श्रेणी में है ?

(स) लघूत्तरात्मक प्रश्न


- राज्य में मानसून की वर्षा कितने महीनों होती है ?
- राजस्थान में कुल सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र कितना है ?
- वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण किन स्रोतों द्वारा होता है ?
- छतों से गिरने वाले वर्षा जल के पुनर्भरण में कितना व्यय आता है ?
- राज्य में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं ?

(द) निबंधात्मक प्रश्न

1. वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण क्यों आवश्यक है ?
2. छत से गिरने वाले वर्षा जल के पुनर्भरण की संरचना को समझाइए।
3. वर्षा जल के पुनर्भरण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?
4. सड़क पर बहने वाले वर्षा जल की संचयन एवं पुनर्भरण कैसे करोगे ?
5. वर्षा जल पुनर्भरण से क्या लाभ है ?

उत्तरमाला— 1. (द) 2. (ब) 3. (स) 4. (स) 5. (अ)

भामाशाह योजना



पृष्ठभूमि एवं परिचय :- 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की अवधारणा को अपनाया गया जहाँ समानता, सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य तथा साधनों एवं वस्तुओं का न्यायसंगत वितरण इत्यादि का सपना देखा गया। लेकिन समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण देश में कल्याणकारी राज्य के सपने को आज तक पूर्ण रूप से साकार नहीं किया जा सका है। समाज में महिलाओं, बच्चों, दलित एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों, किसानों, श्रमिकों इत्यादि की आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई स्थायी सुधार नहीं हो सका है। देश में पिछले छह दशकों में इन सबके लिए, गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगारी निवारण, ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय विकास के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया लेकिन योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव तथा आम आदमी की किसी भी प्रकार की सहभागिता इन योजनाओं में नहीं होने के कारण आम आदमी इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गया या उसे अल्प लाभ ही प्राप्त हुआ।

सरकार के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को वित्तीय सुविधाएँ (पेंशन, छात्रवृत्ति, अकालराहत, बाढ़राहत, प्राकृतिक आपदा, अनुदान आदि) तथा गैर वित्तीय सुविधाएँ (राशन, केरोसीन, रियायती गैस सिलिण्डर, डीजल, खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि) प्रदान की जाती रही है। बावजूद इसमें समाज में महिलाओं, बुजुर्गों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अभी भी विचारणीय है और देश के आर्थिक विकास की गति भी वांछित दर से नहीं बढ़ पा रही है।

पिछले एक दशक से देश में प्रत्येक स्तर पर यह महसूस किया जाने लगा है कि समाज में महिला जो परिवार की सभी क्रियाओं की धुरी है तथा समाज के विकास का अहम अंग है, उसे स्वावलम्बी तथा सशक्त बनाए बिना देश के आर्थिक विकास में वांछित गति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके साथ-साथ आम आदमी को विकास में भागीदार तथा योजनाएं पारदर्शी बनानी होंगी, सामाजिक रूप से उपेक्षित एवं पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से उन तक पहुंचना होगा तभी देश में

कल्याणकारी राज्य का सपना साकार होगा और आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त होगी।

इसलिए राजस्थान सरकार ने कुशल, विश्वसनीय एवं पारदर्शी सुशासन के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के द्वारा सुराज की कल्पना को साकार करने के लिए वर्ष 2008 में भामाशाह वित्तीय समावेशी योजना को लागू किया। यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ वित्तीय सशक्तिकरण की योजना थी। यह देश और राज्य की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना (DBT) थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से यह योजना वर्ष 2009 से आगे क्रियान्वित नहीं हो पायी।

देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर से भामाशाह योजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। वर्ष 2008 में घोषित भामाशाह योजना में आवश्यक सुधार कर विस्तृत रूप में नवीन उर्जा के साथ राजस्थान सरकार ने इसे 15 अगस्त 2014 को पुनः राज्य में लागू किया। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सहयोगी भामाशाह के नाम पर इस योजना का नामकरण किया गया। भामाशाह वह वीर सहयोगी था जिसने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध जारी रखने के लिए अपनी संपूर्ण सम्पत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में 29 अप्रैल 1547 को वैश्य कुल में हुआ। इनका निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली की गद्दी का प्रलोभन भी भामाशाह ने ठुकरा दिया था। भामाशाह अपनी दानवीरता के कारण राजस्थान के इतिहास में अमर हो गये। आत्मसम्मान और त्याग की भावना ने भामाशाह को धर्म स्वदेश और संस्कृति की रक्षा करने वाले देशभक्त के रूप में इतिहास में स्थापित किया गया है। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधिस्थल के मध्य भामाशाह की समाधि बनी है। जैन महाविभूति भामाशाह के सम्मान में 31 दिसम्बर 2000 को भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। भामाशाह के सहयोग ने ही महाराणा प्रताप को जहां संघर्ष की दिशा दी थी वहीं मेवाड़ को भी आत्मसम्मान दिया।



भामाशाह योजना के उद्देश्य :- समाज एवं परिवार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए तथा योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने के लिए भामशाह योजना के निम्न उद्देश्य रखे गए :-

■ समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देना।

- सभी वर्गों का वित्तीय समावेश करना यानि यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार का बैंक खाता हो।
- योजना के नगद लाभ वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरण हो।
- पूर्ण पारदर्शिता के साथ, बिना किसी विलंब के योजनाओं के नगद एवं गैर नगद सेवाएं वास्तविक लाभार्थी को घर बैठे उपलब्ध करवाना।
- घर के समीप बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाना।
- अन्य कई जन कल्याणकारी योजनाओं (पेंशन, छात्रवृत्ति, अनुदान, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि) को इस योजना से जोड़ना।
- स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास कार्यक्रम को इस योजना से जोड़ना।
- परिवार एवं व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन के द्वारा बहुउद्देशीय कार्ड योजना के लाभार्थी को उपलब्ध करवाना।
- शासन व्यवस्था एवं सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार करना।

वर्ष 2008 में भामाशाह योजना के निम्न लक्ष्य रखे गए :-

- 50 लाख परिवारों का नामांकन करना।
- प्रत्येक परिवार को भामाशाह बहुउद्देशीय कार्ड उपलब्ध कराना।
- परिवार में 21 वर्ष की या इससे अधिक आयु की महिला मुखिया के नाम बैंक खाता खोलना जो बायोमैट्रिक पद्धति पर आधारित होगा।
- बैंक में खाता खुलवाने पर बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार द्वारा रु. 1500/- दिया जाना।
- 3 से 5 कि.मी. के दायरे में बैंक सुविधा उपलब्ध करवाना।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना (DBT) के साथ स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
- भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी नकद हस्तांतरण उद्देश्य से भामाशाह योजना से जोड़ना।



भामाशाह योजना –2014

भामाशाह योजना 2008 में आवश्यक सुधार कर इस योजना को विस्तृत एवं अधिक प्रभावी बनाया गया। भामाशाह योजना 2008 में निम्न आवश्यक सुधार किए गए :-

- प्रत्येक योजना के वास्तविक लाभार्थी के त्रुटि रहित समंक (Error free Database) बनाने की नितान्त आवश्यकता थी। इस हेतु राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे (भामाशाह प्लेटफार्म) का विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जाए।

- इस योजना के माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न सेवाओं और योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक लाभार्थी का कोर बैंकिंग सुविधायुक्त किसी भी बैंक में आधार पहचान पत्र (कार्ड) संख्या से जुड़ा बचत खाता खोला जाए। पारिवारिक लाभ को आवश्यक रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक बचत खाते में ही हस्तान्तरित किया जाए ताकि वह अपने विवेकानुसार उस राशि को परिवार के हित में खर्च कर सके।
- योजना में नामांकन के समय परिवार या व्यक्ति की तथा इन पर आधारित सूचना का सत्यापन बायोमैट्रिक विधि से किया जाएगा। इस गुणवत्ता सर्वेक्षण के बाद पृथक-पृथक सर्वे करवाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, बी.पी.एल. इत्यादि के लाभ भामाशाह कार्ड द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे।
- खाद्य सुरक्षा योजना, बी.पी.एल. तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में व्यक्ति एवं परिवार से संबंधित आकड़ों को भामाशाह योजना के डाटाबेस के साथ सुधारना आवश्यक होगा।
- आधार कार्ड के आधार पर भामाशाह नामांकन के माध्यम से सभी परिवारों एवं समस्त सदस्यों का समग्र डेटाबेस तैयार करना। परिवार के सभी सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता निर्धारित करने हेतु सूचना यथा वैवाहिक स्थिति, परिवार की श्रेणी, व्यवसाय, आय, पहचान सत्यापन दस्तावेज आदि का भी संग्रहण किया जाएगा।


भामाशाह योजना के उद्देश्य –

1. **महिला सशक्तिकरण** – परिवार की महिला को परिवार की मुखिया बनाकर परिवार से संबंधित निर्णय में भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. **वित्तीय समावेशन** – राज्य के निवासियों को घर के दरवाजे के पास बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने के लिए, सभी परिवारों के कोर बैंकिंग सुविधा समर्थ बैंक खाते खुलवाना।
3. **परिवार पहचान कार्ड का निर्गमन** – इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक नामांकित परिवार को भामाशाह पहचान व बहुउद्देशीय कार्ड जारी करना।
4. **डाटा हब का निर्माण** – राज्य में एक स्थायी भामाशाह डाटा हब का सृजन करना, जिससे किसी भी योजना में पात्रता के निर्धारण हेतु राज्य के सभी निवासियों की सम्पूर्ण सूचनाओं का एक मात्र विश्वसनीय डेटा स्रोत उपलब्ध हो सके।

भामाशाह योजना के लाभार्थी

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सभी परिवारों में महिला मुखिया इस योजना की प्रमुख लाभार्थी होगी जिसकी आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होगी। महिला मुखिया का निर्धारण परिवार द्वारा किया जाएगा। अगर किसी परिवार में महिला मुखिया 21 वर्ष से कम आयु की है तो उसी स्थिति में पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया उस महिला के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। परिवार के सभी सदस्य भामाशाह योजना के लाभार्थी होंगे क्योंकि परिवार को राशन, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, केरोसीन एवं रसोई गैस पर अनुदान, स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क जाँच, निःशुल्क दवाई इत्यादि का लाभ भामाशाह बहुउद्देशीय कार्ड द्वारा ही प्राप्त होंगे। भामाशाह योजना 2014 का उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शिता के साथ पहुँचाना है। यह योजना परिवार को आधार मानकर उनके वित्तीय समावेश के लक्ष्य को पूरा करती है। सभी

जनसांख्यिकी एवं सामाजिक मापदण्डों को विभिन्न विभागों द्वारा उनकी योजनाओं में पात्रता निर्धारण के लिए इसमें सम्मिलित किया जाएगा।



भामाशाह योजना के लाभ प्राप्ति का माध्यम

इस योजना में लाभार्थी का कोर बैंकिंग समाहित किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए जिसमें सभी नगद लाभ इस खाते में सीधे सरकार द्वारा हस्तान्तरित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर ई-मित्र केन्द्र, भारत निर्माण सेवा केन्द्र (राजस्थान संपर्क आई.टी.केन्द्र) ए.टी.एम. शहरी क्षेत्र में बैंक शाखा तथा ई-मित्र केन्द्र द्वारा एकीकृत सेवाएं लाभार्थी तक पहुंचाई जाएगी। भामाशाह कार्ड परिवार के सभी सदस्यों की पहचान को स्थापित करेगा इसीलिए सभी राजकीय लाभ इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित होंगे। इस खाते से राशि निकासी की सुविधा भी लाभार्थी को प्राप्त भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से पेंशनधारकों को पेंशन, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति,

राशनकार्ड धारकों को गैर नकदी वस्तुओं का वितरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास छात्रवृत्ति, नरेगा श्रमिकों की मजदूरी, इंदिरा आवास लाभार्थी तथा ग्रामीण विकास की अन्य जनकल्याणकारी योजना के लाभार्थियों को लाभ उनके खाते में हस्तान्तरित होंगे।

भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड में अंतर

- | | | |
|----------------|---|---|
| क्र.सं. | भामाशाह कार्ड | आधार कार्ड |
| 1. | कार्ड लाभार्थी को सीधे लाभ पहुंचाने के साथ-साथ उसकी पहचान, लाभ हस्तांतरण, लाभ वितरण एवं अधिकारिता को शामिल करता है। | व्यक्ति को यह केवल विशिष्ट पहचान देता है। |
| 2. | वित्तीय समावेश के लिए बैंक खाते से व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जोड़ता है। | ऐसी कोई सुविधा नहीं देता है। |
| 3. | महिला सशक्तिकरण के लिए परिवार की महिला मुखिया के नाम बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। | ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। |
| 4. | ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर सेवा उपलब्ध है। | ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। |

भामाशाह योजना के लिए नामांकन प्रपत्र का प्रारूप

भामाशाह नामांकन प्रपत्र

वार के मुखियाओं के नाम _____ (पत्नी) _____ (पति) परिवार की श्रेणी : एसटी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/सामान्य जाति : _____

प्रकार श्रेणी : सधु किसान/सीमान्त किसान/अन्य किसान/मुमिहीन भूमि का प्रकार : सिंचित/असिंचित दोनों क्या परिवार अल्पसंख्यक समुदाय से है ? (हां/ना) _____

हासिल पता : मकान सं. _____ अपार्टमेंट _____ गली _____ वार्ड सं. _____ ग्राम/मगरा/ट्रापी/कोलोनी _____

संप्रदाय/शहर _____ तहसील _____ जिला _____ पिनकोड _____ राज्य राजस्थान

माघ सं. (लेण्ड टाईटल) _____ मोबाईल नं. _____ ई-मेल _____

पारिवारिक बैंक खाता का नाम _____ पारिवारिक बैंक खाता संख्या _____

मन श्रेणी : स्वतंत्र मकान/बंगला/अपार्टमेंट/मकान रहित मकान की स्थिति : पक्का/अर्ध पक्का/ड्रोपरी वर्तमान पते पर निवास की अवधि _____ वर्ष

अक्षर संख्या	व्यक्ति के अधिकार संकेतक	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	जन्म तिथि (MM/DD/YY)	व्यक्तिगत आय (MM/DD/YY)	वैवाहिक कर नाम	पिता का स्तर	व्यवसाय	वित्त संयोजन	वार्षिक आय (₹.)	निवासी श्रेणी	बैंक मद खाता संख्या	बैंक खाता संख्या	वित्त संयोजन	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

म सं. 3- मुखिया से संबंध : 1-पति 2-पत्नी/पति 3-पुत्र/पुत्री 4-दादा/पुत्रसु 5-पौत्र/पौत्री 6-पिता/माता 7-सासुर/सास 8-पड़ोसी/पौत्री 9-अन्य

म सं. 7- शिक्षा : 1-पुस्तक 2-परी 3-विशेष विद्यार्थी (दूरस्थ शिक्षा)

म सं. 9- वैवाहिक स्थिति : 1-अविवाहित 2-विवाहित 3-विवाह/विधवा 4-दलबन्धुता 5-परिवार 6-अन्य

म सं. 11- शिक्षा का स्तर : 1-निम्न 2-माध्यम 3-उच्च 4-उच्च प्राथमिक 5-माध्यमिक 6-उच्च माध्यमिक 7-स्नातक 8-स्नातकोत्तर 9-अन्य

म सं. 12- व्यवसाय : 1-राज्य कर्म 2-अन्य कर्म 3-सहकारी/सेवा/बैंक कर्म 4-निजी क्षेत्र कर्म 5-स्वनिर्वाह 6-व्यवसायी 7-भूमि 8-बूटक 9-वेलेजगार 10-अन्य 11-पुलगी

म सं. 13- वित्त संयोजन : 1-अपना 2-बैंक 3-अपना 4-मायिका 5-अन्य 6-सहपति 7-अपना 8-अन्य 9-वेलेजगार 10-अन्य 11-पुलगी

म सं. 14- वार्षिक आय (₹.) : 1-1-5000 से कम, 2-5000 से 20000, 3-20000 से 50000, 4-50000 से 01 लाख, 5-01 लाख से 02 लाख, 6-02 लाख से 4.5 लाख, 7- 4.5 लाख से 10 लाख, 8-10 लाख से अधिक, 9-सामान्य

म सं. 15- निवासी श्रेणी : 1-निवासी 2-अन्य 3-अन्यवासी भारतीय (दूरस्थ शिक्षा)

पत्नी व पति दोनों सहित वार के मुखिया होने तक परिवार का बैंक खाता संख्या परिवार की बैंकिंग मुखिया का व्यक्तिगत खाता होने।

अपेक्षक के हस्ताक्षर/
बनीसख की अनुमतिपत्रिका
नाम _____

भामाशाह योजना का राज्य एवं देश को लाभ

चूंकि इस योजना में नामांकन बायोमैट्रिक पद्धति पर आधारित है तथा नामांकन से पूर्व लाभार्थी का कोर बैंकिंग समर्थित किसी भी बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है इसलिए नामांकन के समय परिवार एवं सदस्यों के द्वारा दी जाने वाली समस्त सूचना का सत्यापन प्रथम स्तर पर पटवारी, ग्राम सेवक या नामांकित अधिकारी द्वारा किया जाता है उसके पश्चात् द्वितीय स्तर पर उपखण्ड अधिकारी या जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके

वास्तविक लाभार्थी की पहचान एवं अधिकारिता सुनिश्चित हो जाती है तथा किसी अन्य के द्वारा छदम नाम से लाभ उठाने की संभावना समाप्त हो जाती है और त्रुटि रहित डाटाबेस तैयार हो जाएगा। देश एवं राज्य में परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, परिवार आकार इत्यादि संबंधी आकड़ों के सकलन के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धन, श्रम शक्ति, समय, संसाधन इत्यादि पर व्यय नहीं करने पड़ेंगे। भामाशाह प्लेटफार्म के द्वारा सरकार का प्रत्येक वर्ग से सीधा संपर्क रहेगा ताकि श्रम शक्ति नियोजन, रोजगार योजनाओं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गैर नकदी लाभ वितरण योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा। इससे समाज में समानता के साथ विकास होगा तथा प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक वर्ग का विकास में योगदान सुनिश्चित होगा। वित्तीय समावेश समाज एवं परिवार में बचतों को प्रोत्साहन देगा जो देश एवं राज्य की आर्थिक तरक्की में प्रोत्साहन के साथ देश एवं राज्य की तीव्र आर्थिक तरक्की में सहयोग करेगा। पारदर्शी योजनाएं समय, संसाधन, श्रमशक्ति और धन में बचत करती है। जिससे अन्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन मिलता है। इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के स्तर, रहन सहन स्तर, जीवन स्तर में सुधार होता है।

महिला सशक्तिकरण परिवार, समाज एवं देश में नए विचार, नई उर्जा, विकास के नए आयाम तथा विकास के लिए नये वातावरण को उत्पन्न करती है। साथ ही कई सामाजिक बुराईयों, कुरीतियों, अंधविश्वासों, हठधर्मिता को तोड़कर जो देश, समाज और परिवार को आगे बढ़ने से रोकती है, परिवार को आगे बढ़ाती है। जिससे समाज और देश भी आगे बढ़ता है। इसीलिए राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर महिला सीमा सुरक्षा बल तैनात है, महिलायें सेना में लडाकू विमान उड़ा रही है, अंतरिक्ष अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, गाँवों में शराबबंदी के लिए घरों से निकलकर एकजुट हो रही है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक सेवाओं राजनीति, बैंकिंग, व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अग्रणी पंक्ति में स्थान पा रही है। इन क्षेत्रों में कार्य एवं परिवार के बीच पूर्ण सामंजस्य को भी कायम कर रही है। पिछले तीन दशकों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर में वृद्धि महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है।

महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय सशक्तिकरण कौशल विकास को भी प्रोत्साहन देता है। कौशल विकास नई तकनीक, नए बाजार, नए व्यवसाय, नए रोजगार, नए शहर, नए विचार, उत्पादन में नई विविधता को उत्पन्न करता है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में माँग और पूर्ति के बीच सामंजस्य पैदा करता है और आर्थिक विकास में गति प्रदान करता है। कौशल विकास शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध, स्वास्थ्य, पोषण में संरचानत्मक परिवर्तन करता है जो पुनः नए कौशल विकास को प्रोत्साहन देता है। इसलिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना को केन्द्र सरकार की मुद्रा (MUDRA) योजना के साथ जोड़ा गया और राज्य में कुशल एवं स्वस्थ श्रमशक्ति के निर्माण हेतु राजस्थान सरकार की 2014-15 बजट घोषणा में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया। कौशल विकास से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र तकनीक आधारित होते जाएंगे। जिससे त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन होगा तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

भामाशाह नामांकन हेतु पात्रता

राजस्थान राज्य का प्रत्येक नागरिक परिवार भामाशाह नामांकन करवा सकता है।

परिवार का मुखिया

1. भामाशाह नामांकन हेतु परिवार को 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया के रूप में नामांकित करवाना होता है।
2. यदि परिवार में कोई भी महिला नहीं है, तो पुरुष मुखिया हो सकता है।
3. यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है तो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति परिवार के मुखिया के रूप में नामांकित किया जाता है।

भामाशाह नामांकन की प्रक्रिया

भामाशाह नामांकन दो प्रकार से किया जाता है :-

1. ऑफलाईन नामांकन
2. ऑनलाईन नामांकन

ऑफलाईन नामांकन – राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तथा शहरी वार्डों में 2 से 5 दिवस के भामाशाह नामांकन शिविरों का आयोजन किया गया था। इन शिविरों के उपरान्त ऐसे क्षेत्र जहां नामांकन कम हुआ था वहां स्थानीय प्रशासन द्वारा फॉलोअप शिविरों का भी आयोजन किया गया था। इन शिविरों में नामांकन तथा बैंक खाते खोलने का कार्य किया गया था।



अब शिविरों का आयोजन नहीं किया जाकर केवल ऑनलाईन नामांकन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के सभी ई-मित्रों केन्द्रों को भामाशाह नामांकन हेतु स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया जा चुका है। अतः आम नागरिक घर के नजदीक ई-मित्र पर कभी भी नामांकन करवा सकता है।

ऑनलाईन नामांकन –

1. कोई भी नागरिक भामाशाह योजना की वेबसाइट www.bhamashah.rajasthan.gov.in पर स्वयं भामाशाह नामांकन कर सकता है।
2. राज्य के सभी ई-मित्र केन्द्रों/अटल सेवा केन्द्रों पर भी ऑनलाईन भामाशाह नामांकन सुविधा उपलब्ध है।

3. चूंकि भामाशाह नामांकन एक सतत प्रक्रिया है। अतः ऑनलाईन नामांकन सुविधा भी सतत उपलब्ध है।



भामाशाह नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज –

1. परिवार के सभी सदस्यों के अलग-अलग फोटो
2. परिवार के मुखिया के कोर बैंक समर्थ बैंक खाते की प्रति
3. परिवार के मुखिया व एक अन्य सदस्य का आधार प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी से सम्बन्धित है जैसे –
 - i. बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन बिल की प्रति,
 - ii. मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की प्रति,
 - iii. मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की प्रति
 - iv. परिवार के सदस्यों की बैंक पास बुक, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज की प्रति।
 - v. किसी भी राजकीय योजना जिससे परिवार लाभान्वित हो रहा है/होगा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज की प्रति।

भामाशाह नामांकन/कार्ड में संशोधन/अद्यतन हेतु शुल्क

राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों का एक बार निःशुल्क नामांकन किया जा रहा है। भामाशाह कार्ड बनने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन करवाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना होता है।

चूंकि भामाशाह नामांकन एक सतत प्रक्रिया है अतः राज्य के समस्त ई-मित्र केन्द्रों को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है। यदि किसी नामांकित परिवार को भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन करवाना हो तो नजदीकी ई-मित्र पर संशोधन करवाया जा सकता है।

भामाशाह नामांकन में दर्ज की जाने वाली सूचना

सभी सरकारी लाभ सीधे, शीघ्र व पारदर्शी रूप से लाभार्थी को प्राप्त हो तथा किसी

भी लाभ को प्रदान करने के लिए बार-बार लाभार्थी से दस्तावेज नहीं लेने पड़े, इसके लिए लाभार्थी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित विभिन्न दस्तावेज की प्रति ली जाती है।

परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित सूचनाएं –

1. आधार पहचान संबंधी सूचनाएं – नाम, जन्म, लिंग, पता और बायोमैट्रिक निशान की तिथि, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण।
2. बुनियादी जनसांख्यिकीय संबंधी सूचनाएं – वैवाहिक स्थिति, आय, अल्पसंख्यकता, वर्ग, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, परिवार पहचान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, बैंक खाता इत्यादि।

भामाशाह कार्ड

1. प्रत्येक परिवार के 7 अक्षरों की यूनिक आई.डी. सहित भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है।
2. राज्य सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड को परिवार/सदस्य की पहचान व पते का कार्ड घोषित किया जा चुका है।
3. भामाशाह कार्ड परिवार को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकित परिवार का कोई सदस्य व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड चाहता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जाता है।
4. प्रारम्भ में प्रत्येक नामांकित परिवार को निःशुल्क भामाशाह परिवार कार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत/शहरी निकाय के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे, नागरिकों को स्थायी वितरण केन्द्र घोषित किया गया है। नागरिक अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर अपना भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है।
5. नामांकित परिवार भामाशाह पोर्टल से भामाशाह कार्ड जारी होने की स्थिति ज्ञात कर सकता है तथा ई-भामाशाह परिवार/व्यक्तिगत कार्ड का प्रिन्ट भी ले सकता है।

भामाशाह कार्ड के प्रकार व नमूना

परिवार का कार्ड – प्रत्येक परिवार को एक कार्ड निःशुल्क दिया जाता है, जिसमें एक ओर महिला मुखिया का फोटो, जन्म दिनांक, उसका बैंक खाता, आधार संख्या, घर का पता, दूसरी ओर सभी सदस्यों के फोटो, जन्म दिनांक, आधार संख्या इत्यादि सूचनाएं होती हैं।

व्यक्तिगत कार्ड – नामांकित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर व्यक्तिगत कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति की जानकारी यथा फोटो, जन्म दिनांक, उसका बैंक खाता, आधार संख्या, घर का पता, किसी योजना का लाभार्थी हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित होती है।

ई-भामाशाह कार्ड – नामांकित परिवार ई-भामाशाह कार्ड भी भामाशाह वेबसाइट से

निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है। उसमें भी भामाशाह कार्ड की समस्त सूचनाएं अंकित होती हैं।



राजस्थान सरकार की महिला सशक्तिकरण की अन्य योजनाएँ:-

महिला सशक्तिकरण के राज्य सरकार के प्रयास पिछली कई योजनाओं से चल रहे हैं। लेकिन वित्तीय सशक्तिकरण के अभाव में महिला आज भी उपेक्षित एवं सम्मान जनक स्थिति में नहीं है। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में निरक्षरता, सामाजिक लोक लाज, अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचारधारा और पुरुष प्रधान समाज के कारण महिला की स्थिति परिवार में और समाज में उपेक्षित ही है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, असुरक्षित प्रसव इत्यादि गंभीर परिस्थितियाँ आजादी के छह दशकों के बाद भी प्रबल हैं। शिक्षा, तकनीक और भौतिक सुविधाओं में वृद्धि एवं विकास के बाद भी बालिका शिक्षा बर्हाल स्थिति में है, परिवार में सभी निर्णय अकेला पुरुष मुखिया लेता है जिसमें महिला को अपना सुझाव देने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए महिला आर्थिक एवं वैचारिक रूप से कमजोर होती जा रही है।

महिला को स्वावलंबी एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए भामाशाह योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व, बाल विवाह रोकथाम, स्वयं सहायता समूह, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निरोधक कानून, किशोरी शक्ति योजना, महिला विकास कार्यक्रम इत्यादि योजनाएँ महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में चलाई जा रही हैं।

अभ्यास

1. परिवार में बुजुर्गों से, गाँव के सरपंच या पंचों से, ग्राम सेवक से राजस्थान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. भामाशाह योजना के बारे में विस्तृत जानकारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पटवारी, ग्राम सेवक कार्यालय से प्राप्त कर विद्यालय में कक्षा में चर्चा करना।
3. भामाशाह योजना में स्वयं का नामांकन करवाकर अन्यो को भी प्रेरित करना।
4. राजकीय चिकित्सालय में जाकर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
5. कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना।
6. उपर्युक्त सभी अभ्यास कार्यों का संक्षिप्त विवरण लिखकर एक प्रति अपने विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य विद्यार्थियों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राज्य की पहली प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजना कौन सी है ?
(अ) नरेगा (ब) भामाशाह
(स) मिड डे मील (द) राशन
2. भामाशाह योजना का क्या उद्देश्य है ?
(अ) महिला सशक्तिकरण (ब) वित्तीय समावेश
(स) ग्रामीण विकास (द) विकल्प अ और ब दोनों
3. राजस्थान सरकार ने कौनसे स्वतंत्रता दिवस पर भामाशाह-2014 योजना की घोषण की थी ?
(अ) 68 वें (ब) 66 वें
(स) 69 वें (द) 67वें
4. भामाशाह कौन था ?
(अ) मेवाड़ का महाराणा (ब) चित्तौड़ का शासक
(स) महाराणा प्रताप का सहायागी (द) कोई भी नहीं
5. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत क्या सुविधा नहीं मिलेगी ?
(अ) निःशुल्क दवा (ब) निःशुल्क जाँच
(स) नगद भुगतान (द) बीमा का लाभ

अतिलघुरात्मक प्रश्न

1. भामाशाह योजना की सर्वप्रथम घोषणा किस राज्य में और कब हुई ?
2. भामाशाह योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
3. बहुउद्देशीय कार्ड किस योजना में दिया जाता है ।
4. क्या भामाशाह नामांकन करवाने से पूर्व बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है ?
5. भामाशाह योजना में बैंक खाता परिवार में किसके नाम से खुलेगा ?

लघुरात्मक प्रश्न

1. भामाशाह योजना 2008 और भामाशाह योजना 2014 में प्रमुख अंतर बताइए ?
2. भामाशाह प्लेटफार्म क्या है ?
3. भामाशाह योजना में परिवार के सदस्यों की पहचान किस आधार पर सुनिश्चित की जाती है और क्यों ?
4. भामाशाह प्लेटफार्म का क्या उपयोग है ।
5. भामाशाह योजना के कौन-कौन लाभार्थी हो सकते हैं ?
6. किन-किन योजनाओं को भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा ?

निबंधात्मक प्रश्न

1. भामाशाह योजना में महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय सशक्तिकरण कैसे किया जाएगा और इसकी क्या आवश्यकता है ।
2. आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड में क्या अंतर है ?दोनों में से कौन ज्यादा उपयोगी है और सरकार को इससे क्या लाभ होगा ?
3. महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं को बताइए तथा राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना और महिला सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं में क्या अन्तर है ?

उत्तर :- 1. (ब) 2. (द) 3. (अ) 4. (स) 5. (स)

(46)